रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10042021-226500
CG-DL-E-10042021-226500

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 151] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 9, 2021/चैत्र 19, 1943
No. 151] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 9, 2021/CHAITRA 19, 1943

IndiaCode

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 2021

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2021

सं. आई.बी.बी.आई./2021-22/जी.एन./आर.ई.जी.071.—भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) के भाग 2 के अध्याय 3क के उपबंधों के साथ पठित धारा 196, धारा, 208 और धारा 240 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2021 है।

(2) ये विनियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं

(1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "आवेदक" से धारा 54ग के अधीन पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ करने के लिए आवेदन फाइल करने वाला कारपोरेट आवेदक अभिप्रेत है;

(ख) "लेनदारों का वर्ग" से ऐसा वर्ग अभिप्रेत है, जिसमें धारा 21 की उपधारा (6क) के खंड (ख) के अधीन कम से कम दस वित्तीय लेनदार हैं और "किसी वर्ग के लेनदार" अभिव्यक्ति का अर्थान्वयन तदनुसार किया जाएगा;

(ग) "संहिता" से दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 अभिप्रेत है;

(घ) "समिति" से धारा 54झ के अधीन गठित लेनदारों की समिति अभिप्रेत है;

(ङ) "इलैक्ट्रॉनिक रूप" का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौदियोगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) में उसका है;

(च) "इलैक्ट्रॉनिक माध्यम" से ऐसा प्राधिकृत और सुरक्षित कम्प्यूटर प्रोगाम अभिप्रेत है जो उस भागीदार को, जो ऐसी संसूचना प्राप्त करने का हकदार है, उस अद्यतन इलैक्ट्रॉनिक मेल पते पर, जो ऐसे भागीदार द्वारा उपलब्ध कराया गया है, संसूचना भेजे जाने का पुष्टीकरण तैयार करने में और ऐसी संसूचना का अभिलेख रखने में समर्थ है;

(छ) "उचित मूल्य" से कारपोरेट ऋणी की आस्तियों का ऐसा अनुमानित वसूलीयोग्य मूल्य अभिप्रेत है, यदि उनका पूर्व निर्धारित दिवाला प्रारंभ होने की तारीख को किसी इच्छुक क्रेता और इच्छुक विक्रेता के बीच किसी निष्पक्ष लेनदेन में समुचित विपणन के पश्चात् आदान-प्रदान किया जाता है और जहां पक्षकारों ने सोचसमझकर, विवेकपूर्ण और दबाव के बिना कार्य किया हो;

(ज) "प्ररूप" से अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूप अभिप्रेत है;

(झ) "पहचान संख्यांक" से यथास्थिति, सीमित दायित्व भागीदारी पहचान सख्यांक या कारपोरेट ऋणी पहचान संख्यांक अभिप्रेत है;

(ञ) "दिवाला व्यावसायिक संस्था" से भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियम, 2016 के अधीन इस रूप में मान्यताप्राप्त कोई संस्था अभिप्रेत है;

(ट) "समापन मूल्य" से कारपोरेट ऋणी की आस्तियों का ऐसा अनुमानित वसूलीयोग्य मूल्य अभिप्रेत है, यदि उसका पूर्व निर्धारित दिवाला प्रारंभ होने की तारीख को समापन किया गया होता;

(ठ) "भागीदार" से धारा 24 के अधीन समिति की बैठक में भाग लेने का हकदार कोई व्यक्ति या समिति द्वारा बैठक में भाग लेने के लिए प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ड) "प्रक्रिया" से संहिता के भाग 2 के अध्याय 3-क के अधीन कारपोरेट ऋणी के लिए पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया अभिप्रेत है;

(ढ) "रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार इस रूप में रजिस्ट्रीकृत है;

(ण) "अनुसूची" से इन विनियमों की अनुसूची अभिप्रैत है;

(त) "धारा" से संहिता की धारा अभिप्रेत है;

(थ) "वीडियो कांफ्रेंसिंग या अन्य श्रव्य और दृश्य साधन" से ऐसी श्रव्य और दृश्य सुविधा अभिप्रेत है, जो किसी बैठक में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को एक दूसरे के साथ सामान्तर रूप से संवाद करने और बैठक में प्रभावी रूप से भाग लेने में समर्थ बनाती है ।

(2) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, उन शब्दों और पदों के, जो इन विनियमों में प्रयुक्त है और परिभाषित नहीं है किन्तु संहिता में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो संहिता में क्रमशः उनके हैं ।

IndiaCode

अध्याय 2

साधारण

3. बैठकें और संचार

(1) इन विनियमों के अधीन अपेक्षित बैठकें या तो भौतिक रूप से या इलैक्ट्रॉनिक पद्धति द्वारा या दोनों के संयोजन से आयोजित की जाएंगी ।

(2) इन विनियमों के अधीन अपेक्षित सभी संचार यथासंभव इलैक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा किए जाएंगे ।

4. आवश्यक आपूर्ति

धारा 14 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट आवश्यक माल और सेवाओं से उस सीमा तक जहां तक ये कारपोरेट ऋणी द्वारा उत्पादित या प्रदत्त उत्पादन के प्रत्यक्ष निवेश के रूप में नहीं हैं, निम्नलिखित अभिप्रेत होगा –

(क) विद्युत;

(ख) जल;

(ग) दूरसंचार सेवाएं; और

(घ) सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं ।

स्पष्टीकरण: किसी कारपोरेट ऋणी को प्रदाय कराया गया जल, पीने और सफाई के प्रयोजनों के लिए न कि जलीय-विद्युत के उत्पादन के लिए आवश्यक आपूर्ति होगा।

5. अतिशय उधार संव्यवहार

किसी संव्यवहार को धारा 50 की उपधारा (2) के अधीन वहां अतिशय समझा जाएगा जहां निबंधन:

(क) कारपोरेट ऋणी से उपलब्ध कराए गए उधार की बाबत अत्यधिक भुगतान करने की अपेक्षा करते हैं; या

(ख) संविदाओं से संबंधित विधि के सिद्धांतों के अधीन अविवेकपूर्ण हैं ।

6. पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया लागत

धारा 5 का उपधारा (23ग) के खंड (ङ) के प्रयोजनों के लिए "पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया लागत" से निम्नलिखित अभिप्रेत होगा-

(क) विनियम 34 के उप-विनियम (5) के अधीन प्राधिकृत प्रतिनिधित्व को संदेय फीस;

(ख) धारा 25क के अधीन प्राधिकृत प्रतिनिधि के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए उसके द्वारा जेब से किए गए व्यय; और

(ग) प्रक्रिया से प्रत्यक्षतः संबंधित और समिति द्वारा अनुमोदित कोई अन्य लागत।

अध्याय 3

समाधान व्यावसायिक

7. समाधान व्यावसायिक के लिए पात्रता

(1) प्ररूप पी1 में सम्मति के अधीन रहते हुए, कोई दिवाला व्यावसायिक यथास्थिति अंतरिम समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक के रूप में नियुक्त किए जाने का तभी पात्र होगा यदि वह और उस दिवाला व्यावसायिक संस्था के सभी भागीदार और निदेशक, जिसका वह एक भागीदार या निदेशक है, कारपोरेट ऋणी से स्वतंत्र हैं:

स्पष्टीकरण: कोई व्यक्ति कारपोरेट ऋणी से तब स्वतंत्र समझा जाएगा, यदि वह

(क) जहां कारपोरेट ऋणी एक कंपनी है, कंपनी अधिनियम, 2013(2013 का 18) की धारा 149 के अधीन कारपोरेट ऋणी के बोर्ड में, स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने का पात्र है;

IndiaCode

(ख) कारपोरेट ऋणी का संबद्ध पक्षकार नहीं है; या

(ग) (i) कारपोरेट ऋणी के लेखापरीक्षकों या सचिवालयिक लेखापरीक्षकों या लागत लेखापरीक्षकों की फर्म का; या

(ii) ऐसी किसी विधिक या परामर्शी फर्म का, जिसने कारपोरेट ऋणी के साथ ऐसी फर्म के सकल आवर्त के पांच प्रतिशत या उससे अधिक रकम का कोई संव्यवहार किया है या किया था,

पिछले तीन वित्तीय वर्ष में से किसी वित्तीय वर्ष में कर्मचारी या स्वत्वधारी या भागीदार नहीं रहा है ।

(2) ऐसा समाधान व्यावसायिक, जो किसी दिवाला व्यावसायिक संस्था का निदेशक या भागीदार है, किसी प्रक्रिया में समाधान व्यावसायिक के रूप में बने रहने का तब अपात्र होगा यदि दिवाला व्यावसायिक संस्था या ऐसी दिवाला व्यावसायिक संस्था का कोई भागीदार या निदेशक उसी प्रक्रिया में किसी भी हितधारक का प्रतिनिधित्व करता है ।

8. समाधान व्यावसायिक की फीस

(1) जहां कारपोरेट ऋणी कोई आवेदन फाइल करने में असफल रहता है या प्रक्रिया आरंभ करने के लिए आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है वहां समाधान व्यावसायिक को धारा 54ख की उपधारा (3) के अधीन कर्तव्यों का पालन करने के लिए संदेय फीस कारपोरेट ऋणी द्वारा वहन की जाएगी ।

(2) कारपोरेट ऋणी ऐसी रकम के साथ, जैसा कि समिति द्वारा समय-समय पर सलाह दी जाए, एक पृथक् बैंक खाता रखेगा और धारा 5 के खंड (23ग) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसे खाते का प्रचालन समाधान व्यावसायिक द्वारा प्रक्रिया के संचालन के लिए उसकी फीस और उसके द्वारा उपगत व्ययों को पूरा करने के लिए किया जाएगा ।

9. बहियों तक पहुंच

समाधान व्यावसायिक, कारपोरेट ऋणी की उन लेखा-बहियों, अभिलेख और अन्य दस्तावेज़ और जानकारी तक, जहां तक वे संहिता के अधीन उसके कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए सुसंगत हैं, जो –

(क) कारपोरेट ऋणी के सदस्यों, संप्रवर्तकों, भागीदारों, निदेशकों और संयुक्त उद्यम भागीदारों;

(ख) कारपोरेट ऋणी द्वारा नियोजित के व्यावसायिकों और सलाहकारों;

(ग) प्रतिभूतियों के निक्षेपागारों;

(घ) उन रजिस्टरियों, जो आस्तियों के स्वामित्वों को अभिलिखित करती हैं; और

(ङ) कारपोरेट ऋणी के संविदागत प्रतिपक्षों

द्वारा धारित हैं, पहुंच रख सकेगा ।

10. व्यावसायिकों की नियुक्ति

समाधान व्यावसायिक धारा 54च की उपधारा (3) के खंड (ङ) के अधीन एक व्यावसायिक नियुक्त कर सकेगा:

परन्तु निम्नलिखित व्यक्तियों को व्यावसायिक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा, अर्थात्:

(क) ऐसा व्यक्ति, जो संबंधित व्यवसाय के विनियामक के पास रजिस्ट्रीकृत नहीं है;

(ख) कारपोरेट ऋणी का संबद्ध पक्षकार;

(ग) पूर्व निर्धारित दिवाला प्रक्रिया प्रारंभ होने की तारीख से पांच वर्ष पूर्व की अवधि के दौरान किसी भी समय कारपोरेट ऋणी का कोई लेखापरीक्षक;

(घ) ऐसी दिवाला व्यावसायिक संस्था का कोई भागीदार या निदेशक, जिसका समाधान व्यावसायिक एक भागीदार या निदेशक है; या

(ङ) समाधान व्यावसायिक का या उस दिवाला व्यावसायिक संस्था के भागीदार या निदेशक का, जिसका समाधान व्यावसायिक एक भागीदार या निदेशक है, कोई नातेदार ।

11. लागत का प्रकटन

(1) समाधान व्यावसायिक अपनी नियुक्ति के समय और उसके पश्चात् भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियम, 2016 में यथा-उपवर्णित आचार संहिता के अनुसार अपने प्रकटन करेगा ।

(2) समाधान व्यावसायिक, प्रक्रिया की मदवार लागत ऐसी रीति में प्रकट करेगा, जैसा बोर्ड द्वारा अपेक्षा की जाए ।

12. अभिलेखों का परिरक्षण

समाधान व्यावसायिक, कारपोरेट ऋणी की प्रक्रिया से संबंधित अभिलेख की भौतिक तथा इलैक्ट्रॉनिक प्रति अभिलेख प्रतिधारण अनुसूची के अनुसार इस प्रकार परिरक्षित करेगा, जैसा बोर्ड द्वारा समाधान व्यावसायिक एजेंसियों से परामर्श करके अपेक्षा की जाए ।

13. रिपोर्टों और प्ररूपों का फाइल किया जाना

समाधान व्यावसायिक ऐसे प्ररूप, उसके संलग्नकों सहित, ऐसे किसी इलैक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म पर, जैसा बोर्ड द्वारा समाधान व्यावसायिक एजेंसियों से परामर्श करके अपेक्षा की जाए, फाइल करेगा ।

अध्याय 4

प्रक्रिया का आरंभ किया जाना

14. वित्तीय लेनदारों द्वारा अनुमोदन

(1) आवेदक, धारा 54क की उपधारा (2) और उपधारा (3) के खंड (ङ) के प्रयोजनों के लिए, ऐसे वित्तीय लेनदारों की बैठक बुलाएगा, जो कारपोरेट ऋणी के संबद्ध पक्षकार नहीं हैं ।

(2) उप-विनियम (1) के अधीन बैठक की सूचना की तामील ऐसे वित्तीय लेनदारों को, जो कारपोरेट ऋणी के संबद्ध पक्षकार नहीं हैं, तब तक बैठक की तारीख से कम से कम पांच दिन पूर्व की जाएगी जब तक कि उन सभी के बीच इससे कम अवधि के लिए सहमति न हुई हो ।

(3) इस विनियम के अधीन बैठक की सूचना में बैठक की तारीख, समय और स्थान उपदर्शित किया जाएगा और उसके साथ प्ररूप पी2 में लेनदारों की सूची, उन्हें देय रकमों सहित, संलग्न की जाएगी ।

(4) ऐसे वित्तीय लेनदार, जो कारपोरेट ऋणी के संबद्ध पक्षकार नहीं हैं और जिनका कारपोरेट ऋणी से असंबद्ध लेनदारों के कुल वित्तीय ऋण के मूल्य का कम से कम दस प्रतिशत है, धारा 54क की उपधारा (2) के खंड (ङ) के प्रयोजनों के लिए दिवाला व्यावसायिकों के नामों की प्रस्थापना कर सकेंगे ।

(5) धारा 54क की उपधारा (2) के खंड (ङ) के अधीन समाधान व्यावसायिक की नियुक्ति के निबंधनों का अनुमोदन प्ररूप पी3 में होगा ।

(6) इस विनियम के अधीन समाधान व्यावसायिक की नियुक्ति के निबंधनों के अंतर्गत निम्नलिखित होंगे–

(क) उसे धारा 54ख की उपधारा (1) के अधीन कर्तव्यों का पालन करने के लिए संदेय फीस;

(ख) उसे प्रक्रिया के संचालन के लिए संदेय फीस और उसके द्वारा उपगत किए जाने वाले व्यय; और

(ग) यदि धारा 54ञ के अधीन कारपोरेट ऋणी का मामला प्रबंधन उसमें निहित किया जाता है तो उसे संदेय फीस और उसके द्वारा उपगत किए जाने वाले व्यय।

(7) धारा 54क की उपधारा (3) के अधीन आवेदन फाइल किए जाने का अनुमोदन प्ररूप पी4 में होगा ।

(8) जहां कारपोरेट ऋणी पर कोई वित्तीय ऋण नहीं है या सभी वित्तीय लेनदार संबद्ध पक्षकार हैं वहां आवेदक ऐसे परिचालन लेनदारों की बैठक बुलाएगा, जो कारपोरेट ऋणी के संबद्ध पक्षकार नहीं हैं और उप-विनियम (1) से उप-विनियम (7) के उपबंध यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे ।

15. प्राधिकृत प्रतिनिधि के लिए पसन्द

समाधान व्यावसायिक, प्ररूप पी2 की परीक्षा करने के पश्चात्,-

(i) लेनदारों के वर्ग, यदि कोई हैं, अभिनिश्चित करेगा;

(ii) उप-विनियम (1) के अधीन अभिनिश्चित किसी वर्ग में लेनदारों का समिति में प्रतिनिधित्व के लिए ऐसे तीन दिवाला व्यावसायिकों की पहचान करेगा, -

(क) जो आवेदक या समाधान व्यावसायिक के नातेदार या संबद्ध पक्षकार नहीं हैं;

(ख) जिनके बोर्ड के पास यथा-रजिस्ट्रीकृत पते, यथास्थिति, उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में हैं, जिनके उस वर्ग में लेनदारों की संख्या, कारपोरेट ऋणी के अभिलेख में उनके पतों के अनुसार उच्चतर है:

परन्तु जहां ऐसे राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में दिवाला व्यावसायिकों की पर्याप्त संख्या नहीं है वहां ऐसे दिवाला व्यावसायिकों के संबंध में, जिनके पते समीपस्थ, यथास्थिति, राज्य या संघराज्यक्षेत्र में हैं, विचार किया जाएगा;

(ग) जो विनियम 7 के अधीन नियुक्त किए जाने के पात्र हैं; और

(घ) जो उस वर्ग में लेनदारों के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के इच्छुक हैं ।

(iii) उप-विनियम (2) के अधीन अभिज्ञात दिवाला व्यावसायिकों की उस वर्ग में लेनदारों के प्राधिकृत प्रतिनिधियों के रूप में कार्य करने की सम्मति प्ररूप पी5 में अभिप्राप्त करेगा ।

(iv) उस वर्ग में लेनदारों से दिवाला व्यावसायिक के लिए उनकी पसन्द की ईप्सा करेगा, जिन्होंने उप-विनियम (3) के अधीन सम्मति दी है:

परन्तु लेनदार समाधान व्यावसायिक को तीन दिनों के भीतर अपनी पसन्द संसूचित करेंगे ।

(v) ऐसे दिवाला व्यावसायिक का, जो कि उस वर्ग में लेनदारों की उच्चतर संख्या की पसन्द है, संबंधित वर्ग के लेनदारों के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए चयन करेगा ।

(vi) उप-विनियम (5) के अधीन चयनित दिवाला व्यावसायिक का नाम, प्ररूप पी5 में उसकी सम्मति सहित, आवेदक को सूचित करेगा ।

16. घोषणाएं

(1) धारा 54क की उपधारा (2) के खंड (च) के अधीन घोषणा प्ररूप पी6 में की जाएगी ।

(2) धारा 54ग की उपधारा (3) के खंड (ग) के अधीन घोषणा प्ररूप पी7 में होगी।

17. समाधान व्यावसायिक द्वारा रिपोर्ट

धारा 54ख की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन रिपोर्ट प्ररूप पी8 में तैयार की जाएगी ।

18. आवेदक द्वारा दी जाने वाली जानकारी

आवेदक, धारा 54ग की उपधारा (3) के खंड (घ) के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित प्रस्तुत करेगा,-

(क) कारपोरेट ऋणी के पिछले दो वित्तीय वर्षों के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के लिए अनंतिम वित्तीय विवरण, जिसे धारा 54क की उपधारा (2) के खंड (च) के अधीन घोषणा की तारीख तक अद्यतन किया गया है; और

(ग) विनियम 15 के उप-विनियम (5) के अधीन चयनित प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत किया गया प्ररूप पी5

अध्याय 5

सार्वजनिक उद्घोषणा और दावे

19. सार्वजनिक उद्घोषणा

(1) समाधान व्यावसायिक, प्रक्रिया के प्रारंभ होने के दो दिन के भीतर एक सार्वजनिक उद्घोषणा करेगा ।

(2) उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट सार्वजनिक उद्घोषणा:

IndiaCode

(क) प्ररूप पी9 में होगी;

(ख) प्ररूप पी2 में सूचीबद्ध प्रत्येक लेनदार को भेजी जाएगी;

(ग) इनफॉरमेशन यूटिलिटी को भेजी जाएगी; और

(घ) कारपोरेट ऋणी की वैबसाइट, यदि कोई है और बोर्ड की वैबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी ।

20. दावों की सूची

(1) कारपोरेट ऋणी धारा 54छ की उपधारा (1) के अधीन दावों की सूची प्ररूप पी10 में समाधान व्यावसायिक को प्रस्तुत करेगा ।

(2) समाधान व्यावसायिक, कारपोरेट ऋणी के अभिलेख और अभिलेख पर उपलब्ध अन्य सुसंगत सामग्री के आधार पर प्राप्त ब्यौरों की पुष्टि प्ररूप पी2 में करेगा ।

(3) समाधान व्यावसायिक, उसके द्वारा पुष्ट किए गए दावों के संबंध में प्रत्येक लेनदार को सूचित करेगा और आक्षेपों की, यदि कोई हैं, ईप्सा करेगा ।

(4) कोई लेनदार उप-विनियम (3) के अधीन संसूचना प्राप्त होने के सात दिन के भीतर समाधान व्यावसायिक को समर्थनकारी दस्तावेज़ों सहित आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा ।

(5) समाधान व्यावसायिक, किसी लेनदार से ऐसे अन्य साक्ष्य और स्पष्टीकरण की अपेक्षा कर सकेगा, जो वह उसके संपूर्ण दावे या उसके किसी भाग को सिद्ध करने के लिए उचित समझे ।

(6) समाधान व्यावसायिक, उप-विनियम (4) के अधीन प्राप्त प्रत्येक आक्षेप पर विचार करेगा और लेनदार के दावे को, यदि अपेक्षित हो, उपांतरित करेगा ।

(7) लेनदार अपने दावे को, जैसे ही पूर्व निर्धारित दिवाला प्रक्रिया प्रारंभ होने की तारीख के पश्चात् उसकी किसी भी स्रोत से. किसी भी रीति में भागतः या पूर्णतः तुष्टि हो जाती है, अद्यतन करेगा ।

(8) समाधान व्यावसायिक दावों की सूची प्ररूप पी2 में तैयार करेगा और जब भी अपेक्षित हो, उसे अद्यतन करेगा ।

(9) प्ररूप पी10 –

(क) कारपोरेट ऋणी के लेनदारों, सदस्यों, भागीदारों, निदेशकों और प्रत्याभूतिदाताओं द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध होगा;

(ख) कारपोरेट ऋणी की वैबसाइट पर, यदि कोई है, प्रदर्शित किया जाएगा;

(ग) बोर्ड के पास इलैक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म पर फाइल किया जाएगा; और

(घ) समिति की बैठकों में पेश किया जाएगा, जैसे ही उसे अद्यतन किया जाता है।

21. दावे की रकम का अवधारण

(1) जहां किसी लेनदार के दावे की रकम किसी आकस्मिकता या अन्य कारणवश निश्चित न हो वहां समाधान व्यावसायिक अपने पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर दावे की रकम का सर्वोत्तम अनुमान लगाएगा ।

(2) समाधान व्यावसायिक, पुष्ट किए गए दावों की रकमों को, जिसके अंतर्गत उप-विनियम (1) के अधीन किए गए दावों के अनुमान भी हैं, तब यथासाध्य शीघ्रता से पुनरीक्षित करेगा जब उसे ऐसी अतिरिक्त जानकारी प्राप्त होती है जिसके कारण ऐसा पुनरीक्षण करना अपेक्षित हो ।

22. विदेशी मुद्रा में ऋण

विदेशी मुद्रा में अंकित दावों को पूर्व निर्धारित दिवाला प्रारंभ होने की तारीख को यथा-विद्यमान सरकारी विनिमय दर पर भारतीय मुद्रा में मूल्यांकित किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण – "सरकारी विनिमय दर" वह निर्देश दर है, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित की जाती है या ऐसी निर्देश दरों से व्युत्पन्न होती है ।

IndiaCode

23. लेनदारों को देय ऋण का अंतरण

जहां कोई लेनदार, प्रक्रिया की अवधि के दौरान ऐसे ऋण को, जो ऐसे लेनदार को देय है, किसी अन्य व्यक्ति को समनुदेशित या अंतरित करता है तो दोनों पक्षकार समाधान व्यावसायिक को विनियम 20 के उप-विनियम (8) के अधीन अद्यतन करने के लिए ऐसे समनुदेशन या अंतरण के निबंधन और समनुदेशिती या अंतरिती की पहचान उपलब्ध कराएंगे ।

अध्याय 6

लेनदारों की समिति

24. किसी वर्ग में केवल लेनदारों वाली समिति

जहां कारपोरेट ऋणी के किसी वर्ग में केवल लेनदार हैं और कोई अन्य वित्तीय लेनदार नहीं है, जो कारपोरेट ऋणी के संबद्ध पक्षकार नहीं हैं वहां समिति केवल प्राधिकृत प्रतिनिधि(प्रतिनिधियों) से मिलकर बनेगी ।

25. केवल परिचालन लेनदारों वाली समिति

(1) जहां कारपोरेट ऋणी पर कोई वित्तीय ऋण नहीं है या सभी वित्तीय लेनदार संबद्ध पक्षकार हैं वहां समिति निम्नलिखित रूप में ऐसे परिचालन लेनदारों से मिलकर बनेगी, जो कारपोरेट ऋणी के नातेदार नहीं हैं –

(क) मूल्य के अनुसार दस सबसे बड़े परिचालन लेनदार और यदि परिचालन लेनदारों की संख्या दस से कम है तो समिति में ऐसे सभी परिचालन लेनदार शामिल होंगे;

(ख) खंड (क) के अधीन सम्मिलित कर्मकारों से भिन्न सभी कर्मकारों द्वारा निर्वाचित एक प्रतिनिधि; और

(ग) खंड (क) के अधीन सम्मिलित कर्मचारियों से भिन्न सभी कर्मचारियों द्वारा निर्वाचित एक प्रतिनिधि ।

(2) इस विनियम के अधीन गठित समिति के एक सदस्य को कुल ऋण के मुकाबले यथास्थिति, ऐसे लेनदार को देय ऋण या ऐसे प्रतिनिधि द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए ऋण के अनुपात में मतदान का अधिकार होगा ।

स्पष्टीकरण – इस उप-विनियम के प्रयोजनों के लिए, 'कुल ऋण' –

(क) उप-विनियम (1) के खंड (क) में सूचीबद्ध लेनदारों को देय ऋण की रकम;

(ख) उप-विनियम (1) के खंड (ख) के अधीन कर्मकारों को देय कुल ऋण की रकम;

(ग) उप-विनियम (1) के खंड (ग) के अधीन कर्मचारियों को देय कुल ऋण की रकम

का योग है ।

(3) यथास्थिति, विनियम 24 या विनियम 25 के अनुसार गठित समिति और उसके सदस्यों के वही अधिकार, शक्तियां, कर्तव्य और बाध्यताएं होंगी जैसी वित्तीय लेनदारों और उसके सदस्यों से मिलकर बनने वाली समिति की होंगी ।

26. समिति में परिवर्तन

लेनदारों की समिति की संरचना में किसी भी परिवर्तन की सूचना समिति के सभी सदस्यों को ऐसे परिवर्तन के दो दिन के भीतर दी जाएगी ।

अध्याय 7

समिति की बैठके

27. समिति की बैठकें

(1) कोई समाधान व्यावसायिक, जब भी आवश्यक समझे, समिति की बैठक बुला सकेगा ।

(2) कोई समाधान व्यावसायिक तब एक बैठक बुलाएगा यदि समिति के तैंतीस प्रतिशत मतदान अधिकार का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों द्वारा इस आशय का अनुरोध किया जाता है ।

28. समिति की बैठकों के लिए सूचना

(1) समिति की कोई बैठक प्रत्येक भागीदार को उस पते पर, जो लेनदार द्वारा समाधान व्यावसायिक को उपलब्ध कराया गया है, लिखित में कम से कम तीन दिन की सूचना देकर बुलाई जाएगी ।

(2) समिति सूचना की अवधि को तीन दिन से घटाकर कम के कम चौबीस घंटे की ऐसी अवधि कर सकेगी, जो वह उचित समझे:

परन्तु समिति उस अवधि को कम के कम अड़तालीस घंटे की ऐसी अन्य अवधि तक घटा सकेगी, यदि उसमें कोई प्राधिकृत प्रतिनिधि है ।

29. सूचना की तामील

(1) भागीदारों को एक पाठ के रूप में ईमेल द्वारा या ईमेल के संलग्नक के रूप में या इलैक्ट्रॉनिक लिंक देते हुए अधिसूचना के रूप में या ऐसी सूचना प्राप्त करने के लिए यूनिफर्म रिसार्स लोकेटर के माध्यम से सूचना भेजी जा सकेगी ।

(2) ईमेल में विषय की पंक्ति में कारपोरेट ऋणी के नाम, स्थान, यदि कोई है, वह समय और तारीख जिसको बैठक निर्धारित की गई है, का उल्लेख होगा ।

(3) जब सूचना ईमेल के संशोधन न करने योग्य (नॉन-एडिटेबल) किसी संलग्नक के रूप में भेजी जाती है तो ऐसा संलग्नक प्राप्तकर्ता के लिए साफ्टवेयर के सुसंगत वर्ज़न के लिए लिंक या अनुदेशों सहित पोर्टेबल डाक्युमेंट फार्मेट या संशोधन न करने योग्य फार्मेट में होगा ।

(4) जब सूचना या सूचना उपलब्ध कराने वाली अधिसूचनाएं ईमेल द्वारा भेजी जाती है तब समाधान व्यावसायिक यह सुनिश्चित करेगा कि वह एक ऐसी प्रणाली का प्रयोग करता है जिससे ईमेल भेजे गए सभी प्राप्तकर्ताओं की कुल संख्या की पुष्टि तैयार होती है और ऐसे प्रत्येक प्राप्तकर्ता का अभिलेख, जिसे सूचना भेजी गई है और ऐसे अभिलेख की प्रति और किसी असफल परेषण की कोई सूचना और इसके पश्चात् पुनः भेजने के सबूत के रूप में रखा जाएगा ।

(5) समाधान व्यावसायिक की बाध्यता का तब समाधान हो जाएगा जब वह ईमेल का परेषण करता है और उसे उसके नियंत्रण से परे परेषण की असफलता के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा ।

(6) इलैक्ट्रॉनिक लिंक या यूनिफार्म रिसार्स लोकेटर पर उपलब्ध कराई गई सूचना पठनीय होगी और प्राप्तकर्ता उसकी प्रतियां अभिप्राप्त और प्रतिधारित करने में समर्थ होना चाहिए और समाधान व्यावसायिक संपूर्ण यूनिफार्म रिसार्स लोकेटर या वैबसाइट का पता और इस संबंध में पूरा विवरण देगा कि दस्तावेज़ या सूचना किस प्रकार प्राप्त करनी है ।

(7) यदि कोई प्रतिभागी समाधान व्यावसायिक को सुसंगत ईमेल पता उपलब्ध कराने या अद्यतन करने में असफल रहता है तो ऐसे प्रतिभागी द्वारा ऐसी सूचना प्राप्त न करने के कारण ऐसी बैठक में लिए गए विनिश्चय अविधिमान्य नहीं हो जाएंगे ।

30. बैठक के लिए सूचना की अंतर्वस्तु

(1) सूचना में प्रतिभागियों को बैठक का स्थान, समय और तारीख तथा वीडियों कांफ्रेंसिंग या अन्य श्रव्य और दृश्य माध्यमों द्वारा भाग लेने के संबंध में उन्हें उपलब्ध विकल्प के बारे में सूचना दी जाएगी और वीडियो कांफ्रेंसिंग या अन्य श्रव्य और दृश्य माध्यमों द्वारा भाग लेने में समर्थ बनाने संबंधी सभी आवश्यक जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी ।

(2) बैठक की सूचना में यह उपबंध होगा कि कोई प्रतिभागी बैठक में व्यक्तिगत रूप से या ऐसे किसी प्रतिनिधि की मार्फत, जो कारपोरेट ऋणी का संबद्ध पक्षकार नहीं है, भाग ले सकेगा और मतदान कर सकेगा:

परन्तु ऐसा प्रतिभागी ऐसे प्रतिनिधि की पहचान के बारे में, जो उसकी ओर से बैठक में उपस्थित होगा और मतदान करेगा, समाधान व्यावसायिक को पहले से सूचित करेगा और उस प्रतिनिधि के पक्ष में एक प्राधिकार-पत्र अग्रेषित करेगा ।

(3) बैठक की सूचना में निम्नलिखित बातें होंगी -

(क) उन विषयों की सूची जिनके संबंध में बैठक में चर्चा की जानी है;

(ख) उन मुद्दों की सूची, जिनके संबंध में बैठक में मतदान किया जाना है; और

(ग) उन सभी दस्तवेज़ों की प्रतियां, जो बैठक में चर्चा किए जाने वाले विषयों और मतदान किए जाने वाले मुद्दों से सूसंगत हैं ।

(4) बैठक की सूचना में –

(क) इलैक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा मतदान के लिए प्रक्रिया और रीति तथा उस समय अनुसूची का कथन होगा, जिसके अंतर्गत ऐसी समय अवधि भी है, जिसके दौरान मतदान किया जाएगा;

(ख) लॉग-इन आई.डी. और पासवर्ड तैयार करने और सुरक्षित रीति में मत डालने की सुरक्षा रखने संबंधी सुविधा के ब्यौरे उपलब्ध होंगे;

(ग) उस व्यक्ति के संपर्क ब्यौरे होंगे, जो इलैक्ट्रॉनिक मतदान से संबंधित शंकाओं का निवारण करेगा ।

31. कोरम

(1) समिति की बैठक का कोरम तब पूरा होगा यदि समिति में कम से कम तैंतीस प्रतिशत मतदान शेयर का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कांफ्रेंसिंग अथवा अन्य श्रव्य और दृश्य माध्यमों द्वारा उपस्थित हैं:

परन्तु समिति की किन्हीं भावी बैठकों की बाबत कोरम के लिए समिति अपेक्षित मतदान शेयर की प्रतिशतता को उपांतरित कर सकेगी ।

(2) जहां समिति की कोई बैठक कोरम की कमी के कारण आयोजित नहीं की सकी थी वहां जब तक समिति ने इससे पूर्व अन्यथा विनिश्चित न किया हो, बैठक स्वतः ही अगले दिन उसी समय और स्थान के लिए स्थगित मानी जाएगी ।

(3) उप-विनियम (2) के अनुसार समिति की बैठक के स्थगित हो जाने की दशा में, स्थगित बैठक का कोरम बैठक में उपस्थित समिति के सदस्यों से पूरा हो जाएगा ।

32. वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लेना

(1) समिति की बैठकें बुलाने संबंधी सूचना में प्रतिभागियों को इस विनियम के अनुसार वीडियो कांफ्रेंसिंग या अन्य श्रव्य और दृश्य माध्यमों द्वारा बैठक में उपस्थित होने का विकल्प होगा ।

(2) समाधान व्यावसायिक, निर्बाधित और स्पष्ट वीडियो अथवा श्रव्य और दृश्य संपर्क सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करेगा ।

(3) समाधान व्यावसायिक निम्नलिखित बातों की सम्यक् और युक्तियुक्त सावधानी बरतेगा –

(क) पर्याप्त सुरक्षा और पहचान प्रक्रिया सुनिश्चित करके बैठक की सत्यनिष्ठा की रक्षा करना;

(ख) बैठक में प्रतिभागियों की प्रभावी भागीदारी के लिए उचित वीडियो कांफ्रेंसिंग या अन्य श्रव्य और दृश्य उपकरणों की उपलब्धता या संचार के संप्रेषण के लिए सुविधाएं सुनिश्चित करना;

(ग) कार्यवाही को लेखबद्ध करना और बैठक के कार्यवृत्त तैयार करना;

(घ) कारपोरेट ऋणी के अभिलेख के भागस्वरूप भौतिक रिकार्डिंग या अन्य इलैक्ट्रॉनिक रिकार्डिंग तंत्र का सुरक्षा और चिह्नित करने के लिए भंडारण करना;

(ङ) यह सुनिश्चित करना कि आशयित प्रतिभागियों से भिन्न कोई अन्य व्यक्ति बैठक में उपस्थित न हो या वीडियो कांफ्रेंसिंग अथवा अन्य श्रव्य और दृश्य माध्यमों द्वारा बैठक की कार्यवाही तक उसकी पहुंच न हो:

परन्तु ऐसे व्यक्ति, जो दिव्यांग हैं, बैठक में अपने साथ एक व्यक्ति को लाने की अनुमति के लिए समाधान व्यावसायिक से अनुरोध कर सकेंगे ।

(4) जहां कोई बैठक वीडियो कांफ्रेंसिंग अथवा अन्य श्रव्य और दृश्य माध्यमों द्वारा आयोजित की जाती है वहां बैठक बुलाने की सूचना में यथा-उपवर्णित बैठक का निर्धारित स्थान, जो कि भारत में होगा, उक्त बैठक का स्थान माना जाएगा और बैठक की कार्यवाहियों की सभी रिकार्डिंग उस स्थान पर की गई मानी जाएंगी ।

33. बैठक का संचालन

(1) समाधान व्यावसायिक समिति की बैठकों में अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा ।

IndiaCode

(2) किसी बैठक के प्रारंभ होने पर समाधान व्यावसायिक ऐसे प्रत्येक प्रतिभागी की, जो उस स्थान पर बैठक में भाग ले रहा है या वीडियो कांफ्रेंसिंग अथवा अन्य श्रव्य और दृश्य माध्यमों द्वारा भाग ले रहा है, हाजिरी लेगा और अभिलेख के लिए निम्नलिखित कथन करेगा,-

(क) उसका नाम;

(ख) क्या वह समिति के सदस्य की हैसियत से या अन्य किसी प्रतिभागी की ओर से उपस्थित है;

(ग) क्या वह किसी सदस्य या सदस्यों के समूह का प्रतिनिधित्व कर रहा है;

(घ) वह स्थान, जहां से वह भाग ले रहा है;

(ङ) यह कि उसे बैठक की कार्यसूची और सभी सुसंगत सामग्री प्राप्त है; और

(च) उस व्यक्ति के स्थान पर उसके अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति उपस्थित नहीं है और बैठक की कार्यवाही नहीं देख रहा है ।

(3) समाधान व्यावसायिक, हाजिरी के बाद प्रतिभागियों को उन सभी व्यक्तियों के नाम सूचित करेगा जो बैठक के लिए उपस्थित हैं और इस बात की पुष्टि करेगा कि क्या अपेक्षित कोरम पूरा है ।

(4) समाधान व्यावसायिक यह सुनिश्चित करेगा कि पूरी बैठक के दौरान अपेक्षित कोरम उपस्थित हो ।

(5) बैठक के प्रारंभ होने से समापन तक, प्रतिभागियों और ऐसे अन्य व्यक्ति के अतिरिक्त, जिसकी उपस्थिति समाधान व्यावसायिक द्वारा अपेक्षित हो, किसी भी व्यक्ति को उस स्थान पर, जहां बैठक आयोजित की गई है या वीडियो कांफ्रेंसिंग अथवा अन्य श्रव्य और दृश्य सुविधा तक पहुंच अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

(6) समाधान व्यावसायिक यह सुनिश्चित करेगा कि समिति की प्रत्येक बैठक के संबंध में कार्यवृत्त तैयार किए जाएं और इन कार्यवृत्तों में उन प्रतिभागियों की, जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से, वीडियो कांफ्रेंसिंग अथवा अन्य श्रव्य और दृश्य माध्यमों द्वारा बैठक में भाग लिया है, विशिष्टियां प्रकट की जाएंगी ।

34. किसी वर्ग में लेनदारों की समिति

(1) समाधान व्यावसायिक, प्रक्रिया के प्रारंभ होने के तीन दिन के भीतर संबंधित प्राधिकृत प्रतिनिधि को प्रत्येक वर्ग में लेनदारों की सूची देगा ।

(2) समाधान व्यावसायिक, संबंधित प्राधिकृत प्रतिनिधि को प्रत्येक वर्ग में लेनदारों की अद्यतन सूची देगा, जैसे ही वह सूची अद्यतन की जाती है ।

स्पष्टीकरण : प्राधिकृत प्रतिनिधि की उस वर्ग के, जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है, लेनदारों के दावों की प्राप्ति या पुष्टि के संबंध में कोई भूमिका नहीं होगी ।

(3) समाधान व्यावसायिक, प्राधिकृत प्रतिनिधि और उस वर्ग के लेनदारों के बीच संचार के इलैक्ट्रॉनिक माध्यम उपलब्ध कराएगा ।

(4) किसी वर्ग में किसी लेनदार का मतदान शेयर वित्तीय ऋण के अनुपात में होगा, जिसके अंतर्गत तब तक आठ प्रतिशत वार्षिक दर पर ब्याज भी है जब तक पक्षकारों के बीच इससे भिन्न दर पर सहमति न हुई हो ।

(5) किसी वर्ग में लेनदारों का प्राधिकृत प्रतिनिधि ऐसी प्रत्येक बैठक के लिए, जिसमें उसने भाग लिया है, निम्नलिखित रीति में फीस प्राप्त करने का हकदार होगा, अर्थात्:-

वर्ग में लेनदारों की संख्या	समिति की प्रत्येक बैठक की फीस(रूपयों में)
10-100	15,000
101-1000	20,000
1000 से अधिक	25,000

(6) प्राधिकृत प्रतिनिधि उस वर्ग के लेनदारों को कार्यसूची परिचालित करेगा और कार्यसूची में किसी मद के संबध में उनके प्रारंभिक विचारों की ईप्सा कर सकेगा जिससे कि वह समिति की बैठक में प्रभावी रूप से भाग लेने में समर्थ सके:

परन्तु लेनदारों के पास अपने प्रारंभिक विचार प्रस्तुत करने के लिए कम से कम बारह घंटे की समय विंडो होगी और उक्त विंडो प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रारंभिक विचारों की ईप्सा करने के कम से कम चौबीस घंटे पश्चात् खुलती है:

परन्तु यह और कि ऐसे प्रारंभिक विचारों को लेनदारों द्वारा दिए गए मतदान अनुदेशों के रूप में नहीं समझा जाएगा ।

35. समिति द्वारा मतदान

(1) ऐसी किसी कार्यवाही पर, जिसके लिए समिति का अनुमोदन अपेक्षित हो, समिति की बैठकों में विचार किया जाएगा ।

(2) समाधान व्यावसायिक, ऐसी किसी मद पर, जो चर्चा किए जाने के पश्चात् मतदान के लिए सूचीबद्ध है, बैठक में उपस्थित समिति के सदस्यों का मत लेगा ।

(3) समाधान व्यावसायिक, बैठक में मतदान की समाप्ति पर, बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा उन मदों के संबंध में लिए गए विनिश्चय की घोषणा करेगा, जिसमें समिति के उन सदस्यों के नामों का उल्लेख होगा जिन्होंने उस विनिश्चय के पक्ष में या उसके विरोध में मतदान किया है या जो मतदान से अनुपस्थित रहे हैं ।

(4) समाधान व्यावसायिक,-

(क) बैठक की समाप्ति के अड़तालीस घंटे के भीतर समिति के समस्त सदस्यों और प्राधिकृत प्रतिनिधि को इलैक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा बैठक का कार्यवृत्त परिचालित करेगा; और

(ख) ऐसे सदस्यों से, जिन्होंने बैठक में मतदान के लिए सूचीबद्ध विषयों पर मतदान नहीं किया था, विनियम 37 के अनुसार इलैक्ट्रॉनिक मतदान पद्धति से मतदान की ईप्सा करेगा जहां मतदान कार्यवृत्त के परिचालन से कम से कम चौबीस घंटे के लिए खुला रखा जाएगा ।

(5) प्राधिकृत प्रतिनिधि, उप-विनियम (4) के अधीन प्राप्त बैठक के कार्यवृत्त को उस वर्ग के लेनदारों को परिचालित करेगा और मतदान अनुदेशों के लिए विंडो के खुलने के कम से कम चौबीस घंटे पूर्व मतदान विंडो की घोषणा करेगा और मतदान विंडो को कम से कम बारह घंटे के लिए खुला रखेगा ।

36. प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान

प्राधिकृत प्रतिनिधि, यदि कोई है, प्रत्येक वित्तीय लेनदार की बाबत या उन सभी वित्तीय लेनदारों की ओर से, जिनका वह प्रतिनिधित्व करता है, धारा 25क की यथास्थिति, उपधारा (3) या उपधारा (3क) के उपबंधों के अनुसार अपना मतदान करेगा ।

37. इलैक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा मतदान

(1) समाधान व्यावसायिक, समिति के प्रत्येक सदस्य को या तो इलैक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा या इस विनियम के उपबंधों के अनुसार इलैक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली के माध्यम से अपना मत डालने के लिए साधन उपलब्ध कराएगा ।

स्पष्टीकरण – इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए

(क) "इलैक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा मतदान" या "इलैक्ट्रॉनिक मतदान पद्धति" अभिव्यक्तियों से इलैक्ट्रॉनिक बैलट, समिति के सदस्यों के मतों और पक्ष या विरोध में डाले गए मतों की संख्या की रिकार्डिंग को प्रदर्शित करने वाली सुरक्षित प्रणाली पर आधारित ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है, जिससे इलैक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा डाले गए मत पर्याप्त साइबर सुरक्षा वाले एक केन्द्रीयकृत सर्वर में एक इलैक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री में रजिस्ट्रीकृत हो जाते हैं और उनकी गणना होती है;

(ख) "सुरक्षित प्रणाली" अभिव्यक्ति से कम्प्यूटर हार्डवेयर, साफ्टवेयर और ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है जो –

(i) अप्राधिकृत पहुंच और दुरुपयोग से युक्तिसंगत रूप से सुरक्षित है;

(ii) विश्वसनीयता और सही प्रचालन का युक्तियुक्त स्तर प्रदान करती है;

(iii) आशयित कृत्यों का पालन करने के लिए युक्तियुक्त रूप से उपयुक्त है; और

(iv) साधारणतया स्वीकृत सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन करती है ।

(2) मतदान की अवधि की समाप्ति पर, मतदान पोर्टल को तुरंत ब्लॉक कर दिया जाएगा ।

(3) समाधान व्यावसायिक, इस विनियम के अधीन आयोजित मतदान के पूरा होने पर, सुसंगत कार्यसूची की मद के संबंध में लिए गए विनिश्चयों की घोषणा करेगा और उसके सार का लिखित अभिलेख तैयार करेगा जिसमें समिति के उन सदस्यों के नाम होंगे, जिन्होंने उस विनिश्चय के पक्ष में या विरोध में मतदान किया है या जो मतदान से अनुपस्थित रहे हैं।

(4) समाधान व्यावसायिक, उप-विनियम (3) के अधीन तैयार किए गए अभिलेख की एक प्रति समस्त प्रतिभागियों को इलैक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा मतदान के पूरा होने के चौबीस घंटे के भीतर परिचालित करेगा।

अध्याय 8

मूल्यांकन और सूचना ज्ञापन

38. रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों की नियुक्ति

समाधान व्यावसायिक, अपनी नियुक्ति के तीन दिन के भीतर कारपोरेट ऋणी के उचित मूल्य और समापन मूल्य का अवधारण करने के लिए दो रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों की नियुक्ति करेगा:

परन्तु निम्नलिखित व्यक्तियों को रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा, अर्थात्:-

(क) कारपोरेट ऋणी का संबद्ध पक्षकार;

(ख) पूर्व निर्धारित दिवाला प्रारंभ होने की तारीख से पांच वर्ष पूर्व की अवधि के दौरान किसी समय कारपोरेट ऋणी का कोई लेखापरीक्षक;

(ग) ऐसी दिवाला व्यावसायिक संस्था का भागीदार या निदेशक, जिसका समाधान व्यावसायिक एक भागीदार या निदेशक है; या

(घ) समाधान व्यावसायिक का या ऐसी दिवाला व्यावसायिक संस्था के, जिसका कि समाधान व्यावसायिक एक भागीदार या निदेशक है, किसी भागीदार या निदेशक का कोई नातेदार।

39. उचित मूल्य और समापन मूल्य

(1) उचित मूल्य और समापन मूल्य का अवधारण निम्नलिखित रीति में किया जाएगा,-

(क) विनियम 38 के अधीन नियुक्त किए गए दो रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक समाधान व्यावसायिक को कारपोरेट ऋणी की माल-सूची और नियत आस्तियों का भौतिक सत्यापन करने के पश्चात् अंतरराष्ट्रीय रूप से स्वीकृत मूल्यांकन मानकों के अनुसार संगणित उचित मूल्य और समापन मूल्य का एक प्राक्कलन प्रस्तुत करेंगे;

(ख) दोनों रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों द्वारा अवधारित मूल्य का औसत यथास्थिति, उचित मूल्य या समापन मूल्य समझा जाएगा।

(2) समाधान व्यावसायिक, संहिता और इन विनियमों के अनुसार समाधान योजनाएं प्राप्त होने के पश्चात् समिति के प्रत्येक सदस्य से यह वचनबंध प्राप्त होने के पश्चात् उन्हें उचित मूल्य और समापन मूल्य इलैक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध कराएगा कि ऐसा सदस्य उचित मूल्य और समापन मूल्य के संबंध में गोपनीयता बनाए रखेगा और स्वयं को या किसी अन्य व्यक्ति को अनुचित लाभ या अनुचित हानि कारित करने के लिए इन मूल्यों का उपयोग नहीं करेगा।

(3) समाधान व्यावसायिक और रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक उचित मूल्य और समापन मूल्य के संबंध में गोपनीयता बनाए रखेंगे।

40. सूचना ज्ञापन

(1) प्रारंभिक सूचना ज्ञापन में, उप-विनियम (2) के अधीन अपेक्षित ब्यौरे दिए जाएंगे।

(2) सूचना ज्ञापन में कारपोरेट ऋणी के निम्नलिखित ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे,-

(क) ऐसे वर्णन सहित आस्तियां और दायित्व, जो उनके मूल्य का अभिनश्चयन करने के लिए साधारणतया आवश्यक है।

स्पष्टीकरण: 'वर्णन' के अंतर्गत ब्यौरे, जैसे अर्जन की तारीख, अर्जन की लागत, शेष उपयोगी जीवन, पहचान संख्यांक, परिवर्तित अवमूल्यन, बही मूल्य और कोई अन्य सुसंगत ब्यौरे आते हैं।

IndiaCode

(ख) अद्यतन वार्षिक वित्तीय विवरणियां;

(ग) कारपोरेट ऋणी की पिछले दो वित्तीय वर्षों की लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियां और चालू वित्तीय वर्ष की अनंतिम वित्तीय विवरणियां ।

(घ) दावों की ऐसी सूची, जिसमें लेनदारों के नाम, उनके दावों की रकमें और ऐसे दावों की बाबत प्रतिभूति हित, यदि कोई है, अंतर्विष्ट हों;

(ङ) संबद्ध पक्षकारों की बाबत कारपोरेट ऋणी से देय या उसे शोध्य ऋण की विशिष्टियां;

(च) उन प्रत्याभूतियों के, जो कारपोरेट ऋणी के ऋणों के संबंध में अन्य व्यक्तियों द्वारा दी गई हैं, यह विनिर्दिष्ट करते हुए ब्यौरे कि इनमें से कौनसा प्रत्याभूतिदाता संबद्ध पक्षकार है;

(छ) उन सदस्यों या भागीदारों के नाम और पते, जो कारपोरेट ऋणी में कम से कम एक प्रतिशत दांव धारण किए हुए हैं तथा दांव का आकार;

(ज) सरकार द्वारा और कानूनी प्राधिकारियों द्वारा संस्थित सभी तात्विक मुकदमेबाजी के और चालू अन्वेषण या कार्यवाही के ब्यौरे;

(झ) कर्मकारों और कर्मचारियों की संख्या और उनके प्रति कारपोरेट ऋणी के दायित्व; और

(ञ) ऐसी अन्य जानकारी, जो कारपोरेट ऋणी या समाधान व्यावसायिक समिति के लिए सुसंगत समझे ।

(3) समाधान व्यावसायिक, उप-विनियम (2) के अधीन ब्यौरों सहित सूचना ज्ञापन को अंतिम रूप देगा और उसे समिति के सदस्य से यह वचनबंध प्राप्त होने के पश्चात् पूर्व निर्धारित दिवाला प्रारंभ होने के चौदह दिनों के भीतर समिति के सदस्यों को प्रस्तुत करेगा कि ऐसा सदस्य या समाधान व्यावसायिक सूचना की गोपनीयता बनाए रखेंगे और स्वयं को या किसी अन्य व्यक्ति को अनुचित लाभ या अनुचित हानि कारित करने के लिए ऐसी सूचना का उपयोग नहीं करेंगे ।

(4) समिति का कोई सदस्य, समाधान व्यावसायिक या कारपोरेट ऋणी को इस विनियम में वर्णित प्रकृति की अतिरिक्त सूचना के लिए अनुरोध कर सकेगा और यथास्थिति, समाधान व्यावसायिक या कारपोरेट ऋणी सभी सदस्यों को ऐसी जानकारी युक्तियुक्त समय के भीतर प्रदान करेगा यदि ऐसी जानकारी समाधान योजना से संबंधित है ।

41. अधिमानी और अन्य संव्यवहार

(1) समाधान व्यावसायिक, पूर्व निर्धारित दिवाला प्रारंभ होने की तारीख के तीसवें दिन या इससे पूर्व इस संबंध में राय बनाएगा कि क्या कारपोरेट ऋणी धारा 43, धारा 45, धारा 50 या धारा 66 के अंतर्गत आने वाले किसी संव्यवहार के अध्यधीन रहा है ।

(2) जहां समाधान व्यावसायिक की यह राय है कि कारपोरेट ऋणी धारा 43, धारा 45, धारा 50 या धारा 66 के अंतर्गत आने वाले किन्हीं संव्यवहारों के अध्यधीन रहा है वहां पूर्व निर्धारित दिवाला प्रारंभ होने की तारीख के पैंतालीसवें दिन को या उससे पूर्व, बोर्ड को सूचना देते हुए एक अवधारण करेगा ।

(3) जहां समाधान व्यावसायिक उप-विनियम (2) के अधीन कोई अवधारण करता है वहां वह पूर्व निर्धारित दिवाला प्रारंभ होने की तारीख के साठवें दिन को या उससे पूर्व समुचित अनुतोष के लिए न्यायनिर्णायक प्रधिकारी को आवेदन करेगा ।

अध्याय 9

समाधान योजना

42. समाधान योजनाओं को स्कोर देना और उनमें सुधार करना

समाधान योजनाओं पर विचार करने के प्रयोजनों के लिए

(i) "मूल्यांकन के लिए आधार" से वह आधार अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत किसी समाधान योजना को स्कोर (अंक) देने के लिए उसका मूल्यांकन करने हेतु समिति द्वारा यथा-अनुमोदित और समाधान योजनाओं के लिए आमंत्रण में प्रकटित लागू किए जाने वाले पैरामीटर और ऐसे पैरामीटरों को लागू करने की रीति भी है ।

दृष्टांत 1

समिति समाधान योजनाओं का मूल्यांकन करने के लिए तीन पैरामीटरों की पहचान कर सकेगी, अर्थात्, एक्स, वाई और जैड । वह इन पैरामीटरों को एक फार्मूले के रूप में लागू कर सकेगी, अर्थात्, 1.5एक्स + 2वाई + 2.5ज़ैड । जहां एक्स, वाई और ज़ैड का मूल्य क्रमशः 20, 25 और 30 है, समाधान योजना का स्कोर 1.5(20) + 2 (25) + 2.5(30) =155 है ।

दृष्टांत 2

समिति समाधान योजनाओं का मूल्यांकन करने के लिए तीन पैरामीटरों की पहचान कर सकेगी, अर्थात्, एक्स, वाई और जैड । वह इन पैरामीटरों को एक फार्मूले के रूप में लागू कर सकेगी, अर्थात्, एक्स के 20 से कम न होने के अधीन रहते हुए,1.5एक्स + 2वाई + 2.5ज़ैड । जहां एक्स, वाई और ज़ैड का मूल्य क्रमशः 20, 25 और 30 है, समाधान योजना का स्कोर 1.5(20) + 2(25) + 2.5(30) =155 है । वह इन पैरामीटरों को एक फार्मूले के रूप में लागू कर सकेगी, अर्थात्, एक्स के 20 से कम न होने के अधीन रहते हुए, 2वाई + 2.5ज़ैड । जहां एक्स, वाई और ज़ैड का मूल्य क्रमशः 20, 25 और 30 है, समाधान योजना का स्कोर 2(25) +2.5(30) =125 है । जहां एक्स, वाई और ज़ैड का मूल्य क्रमश: 15, 40 और 50 है, समाधान योजना एक्स के न्यूनतम मूल्य को पूरा नहीं करती है इसलिए इस योजना का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा;

(ii) समाधान योजना के संबंध में "महत्वपूर्ण रूप से बेहतर" से यह अभिप्रेत है कि किसी समाधान योजना का स्कोर समिति द्वारा यथा-अनुमोदित और समाधान योजनाओं के आमंत्रण में प्रकटित किसी अन्य समाधान योजना के स्कोर से कतिपय संख्या या प्रतिशत के आधार पर उच्चतर है;

दृष्टांत 1

समिति किसी समाधान योजना को किसी अन्य समाधान योजना से महत्वपूर्ण रूप से बेहतर तब समझ सकेगी यदि पूर्ववर्ती समाधान योजना का स्कोर पश्चात्वर्ती समाधान योजना के स्कोर से 10 तक उच्चतर है । जहां समाधान योजना क और ख के स्कोर क्रमश: 100 और 110 हैं वहां समाधान योजना ख समाधान योजना क से महत्वपूर्ण रूप से बेहतर है । जहां समाधान योजना क और ख के स्कोर क्रमश: 100 और 108 हैं वहां समाधान योजना ख समाधान योजना क से महत्वपूर्ण रूप से बेहतर नहीं है ।

दृष्टांत 2

समिति किसी समाधान योजना को किसी अन्य समाधान योजना से महत्वपूर्ण रूप से तब बेहतर समझ सकेगी यदि पूर्ववर्ती समाधान योजना का स्कोर पश्चात्वर्ती समाधान योजना के स्कोर से 5 तक उच्चतर है । जहां समाधान योजना क और ख के स्कोर क्रमश: 100 और 107 हैं वहां समाधान योजना ख समाधान योजना क से महत्वपूर्ण रूप से बेहतर है । जहां समाधान योजना के स्कोर क और ख क्रमश: 100 और 104 हैं वहां समाधान योजना ख, समाधान योजना क से महत्वपूर्ण रूप से बेहतर नहीं है ।

(iii) "टिक आकार" से समिति द्वारा यथा-अनुमोदित और समाधान योजनाओं के आमंत्रण में प्रकट किए गए स्कोर के निबंधनानुसार किसी अन्य समाधान योजना के मुकाबले न्यूनतम सुधार अभिप्रेत है ।

दृष्टांत 1

मूल्यांकन के आधार पर, समाधान योजना क और ख के स्कोर क्रमशः 105 और 108 हैं । समाधान योजना 'क' का आवेदक, समाधान योजना 'ख' के मुकाबले समाधान योजना 'क' में सुधार की इच्छा कर सकेगा । उसे समाधान योजना में इतना सुधार करना चाहिए कि समाधान योजना 'क' का स्कोर समाधान योजना 'ख' के स्कोर से कम से कम टिक आकार तक आधिक हो जाए । यदि टिक आकार 5 है तो समाधान योजना 'क' के समाधान आवेदक को समाधान योजना 'क' में इतना सुधार करना चाहिए कि समाधान योजना 'क' का स्कोर कम से कम 108+5=113 हो ।

दृष्टांत 2

दृष्टांत 1 के अधीन उदाहरण में, यदि टिक आकार 5 है तो समाधान योजना 'क' के समाधान आवेदक को समाधान योजना 'क' में इतना सुधार करना चाहिए कि समाधान योजना 'क' का स्कोर कम से कम 108x 1.05=113.4 हो ।

43. समाधान योजनाओं के लिए आमंत्रण

(1) समाधान व्यावसायिक, धारा 54ट की उपधारा (5) के प्रयोजनों के लिए समाधान योजनाओं के लिए आमंत्रण की संक्षिप्त विशिष्टियां पूर्व निर्धारित दिवाला प्रारंभ होने की तारीख से इक्कीस दिनों के अपश्चात् प्ररूप पी11 में प्रकाशित करेगा ।

(2) समाधान व्यावसायिक प्ररूप पी11 निम्न प्रकार प्रकाशित करेगा –

(क) कारपोरेट ऋणी की वैबसाइट पर, यदि कोई है;

(ख) बोर्ड द्वारा इस प्रयोजनार्थ अभिहित वैबसाइट पर, यदि कोई है; और

(ग) किसी अन्य रीति में, जो समिति विनिश्चित करे ।

(3) प्ररूप पी 10 में –

(क) इस बात का कथन होगा कि समाधान योजनाओं के लिए आमंत्रण कहां से यथास्थिति, डाउनलोड या अभिप्राप्त किया जा सकता है; और

(ख) समाधान योजना प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख के लिए उपबंध होगा, जो कि उप-विनियम (2) के अधीन समाधान योजना के लिए आमंत्रण जारी करने की तारीख से पन्द्रह दिन से कम नहीं होगी ।

(4) समाधान योजनाओं के लिए आमंत्रण में –

(क) प्रक्रिया के प्रत्येक चरण का और समाधान व्यावसायिक और समाधान आवेदक के बीच बातचीत की रीति और प्रयोजन तथा तत्स्थानी समय-सीमा का ब्यौरा होगा;

(ख) (i) मूल्यांकन के लिए आधार; (ii) किसी समाधान योजना को अन्य समाधान योजना से महत्वपूर्ण रूप से बेहतर मानने के लिए आधार; (iii) टिक आकार; और (iv) समाधान योजना में सुधार करने की रीति शामिल होगी; और

(ग) समाधान योजना प्रस्तुत करने या उसके साथ संलग्न करने के लिए किसी अप्रतिदेय निक्षेप की अपेक्षा नहीं की जाएगी ।

(5) समाधान व्यावसायिक समाधान आवेदक से, यदि उसकी समाधान योजना धारा 54ट की उपधारा (13) के अधीन अनुमोदित हो जाती है, उसमें विनिर्दिष्ट समय के भीतर कार्य-निष्पादन प्रतिभूति देने की अपेक्षा करेगा और ऐसी कार्य-निष्पादन प्रतिभूति तब ज़ब्त हो जाएगी यदि ऐसी योजना का समाधान आवेदक, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा उसका अनुमोदन किए जाने के पश्चात्, उस योजना को योजना के निबंधनानुसार और उसकी कार्यान्वयन अनुसूची के अनुसार, कार्यान्वित करने में असफल होता है या उसके कार्यान्वयन की असफलता में योगदान करता है ।

स्पष्टीकरण 1 – इस उप-विनियम के प्रयोजनों के लिए, "कार्यनिष्पादन प्रतिभूति" से ऐसी प्रकृति, मूल्य, अवधि और स्रोत की प्रतिभूति अभिप्रेत है, जो समाधान योजना की प्रकृति और कारपोरेट ऋणी के कारबार को ध्यान में रखते हुए समिति के अनुमोदन से समाधान योजनाओं के लिए आमंत्रण में विनिर्दिष्ट की जाए ।

स्पष्टीकरण 2 – कार्यनिष्पादन प्रतिभूति को आत्यांतिक निबंधनों में विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा, जैसे किसी बैंक से 'X' रूपयों की 'Y' वर्षों के लिए प्रत्याभूति या एक या अधिक चर वस्तुओं के संबंध में, जैसे समाधान योजना की अवधि, समाधान योजना के अधीन लेनदारों को संदेय रकम, आदि ।

44. समाधान योजना

समाधान योजना में उसकी आस्तियों को अधिकतम मूल्य तक ले जाने के लिए अध्युपायों का उपबंध होगा जिनके अंतर्गत निम्नलिखित हैं :-

IndiaCode

(क) कारपोरेट ऋणी की समस्त या आंशिक आस्तियों को एक या अधिक व्यक्तियों को अंतरित करना;

(ख) समस्त आस्तियों या उसके भाग का विक्रय, चाहे वे किसी प्रतिभूति हित के अध्यधीन हो अथवा नहीं;

(ग) कारपोरेट ऋणी का विलयन, आमेलन और निर्विलयन द्वारा पुनर्गठन;

(घ) कारपोरेट ऋणी के शेयरों का सारवान् अर्जन;

(ङ) कारपोरेट ऋणी के किन्हीं शेयरों को रद्द या असूचीबद्ध करना, यदि लागू हो:

(च) किसी प्रतिभूति हित का तुष्टिकरण या उपांतरण;

(छ) कारपोरेट ऋणी से देय किसी ऋण के निबंधनों के किसी भंग में सुधार या उसका अधित्यजन;

(ज) लेनदारों को संदेय रकम में कटौती;

(झ) कारपोरेट ऋणी से देय किसी ऋण की परिपक्वता तारीख में विस्तार या ब्याज की दर या अन्य निबंधनों में परिवर्तन;

(ञ) कारपोरेट ऋणी के गठन संबंधी दस्तावेज़ों में संशोधन;

(ट) नकदी, संपत्ति, प्रतिभूतियों के लिए या दावों या हितों के आदान-प्रदान में या अन्य समुचित प्रयोजन के लिए कारपोरेट ऋणी की प्रतिभूतियां जारी करना;

(ठ) कारपोरेट ऋणी द्वारा उत्पादित माल या प्रदान की गई सेवाओं के पोर्टफोलियों में परिवर्तन;

(ड) कारपोरेट ऋणी द्वारा प्रयुक्त प्रौद्योगिकी में परिवर्तन; और

(ढ) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियो से आवश्यक अनुमोदन अभिप्राप्त करना ।

45. समाधान योजना की आज्ञापक अंतर्वस्तुएं

(1) समाधान योजना में निम्नलिखित होगा –

(क) यह शपथपत्र कि समाधान आवेदक संहिता के अधीन कारपोरेट ऋणी के समाधान के लिए समाधान योजना प्रस्तुत करने का पात्र है;

(ख) इस बारे में ब्यौरे देते हुए कथन कि क्या समाधान आवेदक या उससे संबद्ध कोई पक्षकार इससे पूर्व किसी भी समय न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किसी अन्य समाधान योजना को कार्यान्वित करने में असफल रहा है या उसने उसके कार्यान्वयन की असफलता में योगदान किया है; और

(ग) यह वचनबंध कि समाधान योजना में या उसके संबंध में प्रदान की गई प्रत्येक जानकारी और अभिलेख सही और सत्य है और किसी भी समय मिथ्या जानकारी और अभिलेख का पता चलने पर समाधान आवेदक संहिता के अधीन किसी समाधान प्रक्रिया में भाग लेने से अपात्र हो जाएगा ।

(2) समाधान योजना में निम्नलिखित बातें होगी –

(क) योजना की अवधि और उसकी कार्यान्वयन अनुसूची;

(ख) उसकी अवधि के दौरान कारपोरेट ऋणी के कारबार का प्रबंधन और नियंत्रण;

(ग) उसके कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करने के लिए पर्याप्त साधन ।

(3) समाधान योजना से यह प्रदर्शित होगा कि –

(क) वह व्यतिक्रम के कारण को दूर करती है;

(ख) वह साध्य और व्यवहार्य है;

IndiaCode

(ग) उसमें उसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपबंध हैं;

(घ) उसमें अपेक्षित अनुमोदनों के लिए और उसकी समय-सीमा के लिए उपबंध हैं; और

(ङ) समाधान आवेदक, समाधान योजना को कार्यान्वित करने में सक्षम है ।

(4) समाधान योजना में इस संबंध में एक कथन शामिल होगा कि उसमें सभी हितधारकों के, जिसके अंतर्गत कारपोरेट ऋणी के वित्तीय लेनदार और परिचालन लेनदार भी हैं, हितों के संबंध में किस प्रकार कार्यवाही की गई है ।

(5) किसी समाधान योजना के अधीन –

(क) परिचालन लेनदारों को संदेय रकम का संदाय करने के मामले में वित्तीय लेनदारों के मुकाबले प्राथमिकता दी जाएगी; और

(ख) वित्तीय लेनदारों को, जिन्हें धारा 21 की उपधार (2) के अधीन मतदान करने का अधिकार प्राप्त है और उन्होंने समाधान योजना के पक्ष में मतदान नहीं किया था, संदेय रकम का संदाय करने के संबंध में ऐसे वित्तीय लेनदारों के मुकाबले, जिन्होंने योजना के पक्ष में मतदान किया था, प्राथमिकता दी जाएगी ।

46. समाधान योजनाएं प्रस्तुत करना

(1) समाधान आवेदक, संहिता और इन विनियमों के अनुसार तैयार की गई समाधान योजना या योजनाओं को समाधान योजना के लिए आमंत्रण में दिए गए समय के भीतर इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से समाधान व्यावसायिक को प्रस्तुत कर सकेगा ।

(2) ऐसी समाधान योजना को, जो उप-विनियम के उपबंधों का अनुपालन नहीं करती है, अस्वीकार कर दिया जाएगा ।

47. समाधान योजनाओं का मूल्यांकन

(1) विनियम 46 के अधीन प्राप्त उन समाधान योजनाओं का, जो संहिता और इन विनियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन करती हैं, मूल्यांकन के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा ।

(2) उस समाधान योजना को, जो उप-विनियम (1) के अधीन उच्चतर स्कोर प्राप्त करती है, आधारिक समाधान योजना के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए चयनित किया जाएगा ।

48. समाधान योजना का अनुमोदन

(1) विनियम 47 के अधीन चयनित समाधान योजना पर समिति द्वारा अनुमोदन के लिए विचार किया जाएगा, यदि वह आधारिक समाधान योजना से महत्वपूर्ण रूप से बेहतर है ।

(2) जहां विनियम 46 के अधीन कोई ऐसी समाधान योजना प्राप्त नहीं होती है, जो संहिता और इन विनियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन करती है वहां आधारिक योजना पर समिति द्वारा अनुमोदन के लिए विचार किया जा सकेगा ।

(3) उप-विनियम (1) और उप-विनियम (2) के अंतर्गत न आने वाले मामलों में, समाधान व्यावसायिक, विनियम 46 के अधीन चयनित समाधान योजना और आधारिक समाधान योजना के स्कोर को इन समाधान योजनाओं के प्रस्तुतकर्ताओं को प्रकट करेगा और उन्हें उप-विनियम (4) के अनुसार अपनी समाधान योजनाओं में सुधार करने के लिए आमंत्रित करेगा ।

(4) उप-विनियम (3) के अधीन समाधान योजना के प्रस्तुतकर्ता के पास अपनी योजना में निम्नलिखित रीति में सुधार करने का विकल्प होगा:-

(क) उस समाधान योजना के प्रस्तुतकर्ता के पास, जिसका स्कोर निम्नतर है, अपनी समाधान योजना में कम से कम एक टिक आकार तक सुधार करने का विकल्प होगा ।

(ख) इसके बाद अन्य समाधान योजना के प्रस्तुतकर्ता के पास अपनी समाधान योजना में कम से कम एक टिक आकार तक सुधार करने का विकल्प होगा ।

(ग) इसके बाद खंड (क) के अधीन प्रस्तुतकर्ता के पास अपनी समाधान योजना में कम से कम एक टिक आकार तक सुधार करने का विकल्प होगा ।

(घ) इसके बाद खंड (ख) के अधीन प्रस्तुतकर्ता के पास अपनी समाधान योजना में कम से कम एक टिक आकार तक सुधार करने का विकल्प होगा

सुधार करने की प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक दोनों में से कोई प्रस्तुतकर्ता समाधान योजनाओं के लिए आमंत्रण में विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपने विकल्प का प्रयोग करने में असफल नहीं हो जाता ।

(5) उप-विनियम (3) से उप-विनियम (4) के अधीन प्रक्रिया अड़तालीस घंटे की समय विंडो के भीतर पूरी कर दी जाएगी ।

(6) उप-विनियम (4) के अधीन सुधार करने की प्रक्रिया पूरी होने पर उच्चतर स्कोर वाली समाधान योजना पर समिति द्वारा अनुमोदन के लिए विचार किया जाएगा ।

49. न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को आवेदन

(1) जहां किसी समाधान योजना का समिति द्वारा अनुमोदन कर दिया जाता है वहां समाधान व्यावसायिक, प्ररप पी12 में अनुपालन प्रमाणपत्र सहित एक आवेदन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा ।

(2) समाधान व्यावसायिक, समाधान योजना को अनुमोदित या अस्वीकार करने वाले न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के आदेश की एक प्रति तुरंत भागीदारों और समाधान आवेदक को तुरंत भेजेगा ।

(3) समाधान व्यावसायिक, किसी समाधान योजना का अनुमोदन करने वाले न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के आदेश से सात दिन के भीतर प्रत्येक दावेदार को ऐसी समाधान योजना के अधीन ऋणों के संदाय के लिए यथास्थिति, सिद्धांत या फार्मूला संसूचित करेगा ।

(4) जहां समिति द्वारा किसी भी समाधान योजना का अनुमोदन नहीं किया जाता है या समिति ने प्रक्रिया के पर्यवसान का अनुमोदन कर दिया है वहां समाधान व्यावसायिक, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को प्ररूप पी13 में प्रक्रिया के पर्यवसान के लिए आवेदन फाइल करेगा ।

अध्याय 10

कारपोरेट ऋणी के कामकाज का प्रबंध

50. प्रक्रिया के दौरान प्रबंधन

(1) कारपोरेट ऋणी, कारपोरेट ऋणी के कामकाज का प्रबंधन ऐसी रीति में, जो कारपोरेट ऋणी के लेनदारों के हितों के प्रतिकूल है या किसी कपटपूर्ण रीति में नहीं करेगा ।

(2) कारपोरेट ऋणी, समिति का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त किए बिना निम्नलिखित में से कोई भी कार्यवाही नहीं करेगा, अर्थात्,-

(क) समिति द्वारा यथा-विनिश्चित सीमा के ऊपर संव्यवहार; और

(ख) समिति द्वारा यथा-विनिश्चित और धारा 28 के अंतर्गत न आने वाला कोई अन्य विषय ।

(3) कारपोरेट ऋणी, समाधान व्यावसायिक के परामर्श से एक मासिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे निम्नलिखित ब्यौरों सहित समिति के सदस्यों को अग्रेषित करेगा:

(क) उन विधिक कार्यवाहियों के ब्यौरे, जिसका कारपोरेट ऋणी के कारबार पर तात्विक प्रभाव है;

(ख) रिपोर्ट की अवधि के दौरान निष्पादित प्रमुख संविदाओं के ब्यौरे; और

(ग) ऐसा कोई अन्य सुसंगत विषय, जिसका कारपोरेट ऋणी के कारबार पर तात्विक प्रभाव हो सकता है ।

(4) समाधान व्यावसायिक:

(क) कारपोरेट ऋणी के प्रचालनों से संबंधित कोई जानकारी, जिसके अंतर्गत संदाय पद्धति भी है, मंगा सकेगा;

(ख) कारपोरेट ऋणी के परिसर में जा सकेगा;

(ग) कारपोरेट ऋणी की आस्तियों का निरीक्षण कर सकेगा;

(घ) कारपोरेट ऋणी को लागू अनुपालनों और उसकी प्रास्थिति से संबंधित जानकारी मंगा सकेगा ;

(ङ) कारपोरेट ऋणी द्वारा या उसके विरुद्ध संस्थित मुकदमेबाजी से संबंधित ब्यौरों की अपेक्षा कर सकेगा;

(च) प्रक्रिया के दौरान कारपोरेट ऋणी का आचरण अभिनिश्चित करने के लिए ब्यौरों की मांग कर सकेगा ।

IndiaCode

51. प्रबंधतंत्र का समाधान व्यावसायिक में निहित होना

धारा 54ञ की उपधारा (1) के प्रयोजनार्थ, समाधान व्यावसायिक प्ररूप पी14 में एक आवेदन करेगा ।

अनुसूची

प्ररूप पी1

लिखित सहमति

[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2021 के विनियम 7(1) के अधीन]

(तारीख)

सेवा में,

न्यायनिर्णायक प्राधिकारी

[न्यायपीठ]

प्रेषक:

[दिवाला व्यावसायिक का नाम]

[दिवाला व्यावसायिक का रजिस्ट्रीकरण संख्यांक]

[बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत दिवाला व्यावसायिक का पता]

IndiaCode

विषय:(कारपोरेट ऋणी का नाम) के मामले में लिखित सहमति ।

1. मैं,(दिवाला व्यावसायिक का नाम) (दिवाला व्यावसायिक एजेंसी का नाम) के पास नामांकित और बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत हूं । मेरी

(i)(कारपोरेट ऋणी का नाम) की कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 54ण के अधीन अंतरिम समाधान व्यावसायिक के रूप में

या

(ii)(कारपोरेट ऋणी का नाम) की पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 54क या धारा 27 के अधीन समाधान व्यावसायिक के रूप में

नियुक्ति के लिए प्रस्ताव किया गया है ।

[उस भाग को काट दीजिए, जो सुसंगत नहीं है]

2. मैं प्रस्तावित नियुक्ति के लिए अपनी सहमति देता हूं ।

3. मेरे पास इस समय निम्नलिखित प्रक्रियाएं हैं:

क्रम सं.	**भूमिका**	**सहमति की तारीख को प्रक्रियाओं की संख्या**
I	**II**	**III**
1	अंतरिम समाधान व्यावसायिक	

2	क. कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रियाओं ख. पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रियाओं ग. व्यष्टियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रियाओं में समाधान व्यावसायिक	
3	क. समापन प्रक्रियाओं ख. स्वेच्छया समापन प्रक्रियाओं का परिसमापक	
4	शोधन-अक्षमता न्यासी	
5	प्राधिकृत प्रतिनिधि	
6	कोई अन्य (कृपया वर्णन करें)	

4. मैं निम्न प्रकार घोषणा और प्रतिज्ञान करता हूं:-

क. मैं बोर्ड या दिवाला व्यावसायिक एजेंसी द्वारा संस्थित किसी अनुशासनात्मक कार्यवाही के अध्यधीन नहीं हूं ।

ख. मैं समाधान व्यावसायिक के रूप में कार्य करने संबंधी किसी निःशक्तता से ग्रस्त नहीं हूं ।

ग. मैं भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2021 के विनियम 7 और संहिता तथा विनियमों के अन्य लागू उपबंधों के अधीन कारपोरेट ऋणी के अंतरिम समाधान व्यावसायिक/समाधान व्यावसायिक के रूप में नियुक्त किए जाने का पात्र हूं ।

घ. मैं भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियम, 2016 में उपवर्णित दिवाला व्यावसायिकों के लिए आचार संहिता के अनुसार प्रकटन करूंगा ।

तारीख: स्थान:	(दिवाला व्यावसायिक के हस्ताक्षर रजिस्ट्रीकरण संख्यांक---------- नियतकार्य के लिए प्राधिकार-पत्र सं.(ए.एफ.ए.) ए.एफ.ए. के समाप्त होने की तारीख..... (स्पष्ट अक्षरों में नाम) (दिवाला व्यावसायिक संस्था का नाम, यदि लागू हो)

[कारपोरेट ऋणी का नाम] के लेनदारों की सूची

[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2021 के विनियम 14 के अधीन]

[तारीख] को यथा-विद्यमान

वित्तीय लेनदारों की सूची (असंबद्ध)			
I	**II**	**III**	**IV**
क्रम सं.	**लेनदार का नाम**	**दावे की रकम**	**दावे की प्रतिशतता**
1.			
2.			

3.			
वित्तीय लेनदारों की सूची (संबद्ध)			
क्रम सं.	**लेनदार का नाम**	**दावे की रकम**	**दावे की प्रतिशतता**
1.			
2.			
3.			
परिचालन लेनदारों की सूची (असंबद्ध)			
क्रम सं.	**लेनदार का नाम**	**दावे की रकम**	**दावे की प्रतिशतता**
1.			
2.			
3.			
परिचालन लेनदारों की सूची (संबद्ध)			
क्रम सं.	**लेनदार का नाम**	**दावे की रकम**	**दावे की प्रतिशतता**
1.			
2.			
3.			
अन्य लेनदारों की सूची (असंबद्ध)			
क्रम सं.	**लेनदार का नाम**	**दावे की रकम**	**दावे की प्रतिशतता**
1.			
2.			
3.			
अन्य लेनदारों की सूची (संबद्ध)			
क्रम सं.	**लेनदार का नाम**	**दावे की रकम**	**दावे की प्रतिशतता**
1.			
2.			
3.			

IndiaCode

[कारपोरेट आवेदक की ओर से]

(हस्ताक्षर)

जानकारी प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का नाम

कारपोरेट ऋणी से संबंध

प्ररूप पी3

समाधान व्यावसायिक की नियुक्ति के निबंधनों का अनुमोदन

[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2021 के विनियम 14(5) के अधीन]

1.(कारपोरेट ऋणी का नाम) की पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए समाधान व्यावसायिक के नाम का प्रस्ताव करने और उसका अनुमोदन करने के लिए उन वित्तीय लेनदारों की, जो कारपोरेट ऋणी के संबद्ध पक्षकार नहीं हैं,(बैठक की तारीख) को(बैठक का समय).....(बैठक का स्थान) पर बैठक आयोजित की गई थी ।

2. लेनदारों की सूची उक्त बैठक की सूचना के साथ प्ररूप पी2 में उपलब्ध कराई गई थी ।

3. उक्त बैठक में उपस्थित लेनदार(लेनदारों) के ब्यौरे उपाबंध-क के रूप में संलग्न हैं ।

4.[लेनदार(लेनदारों) का नाम], जिनका ऋण*प्रतिशत है, ने.....(कारपोरेट ऋणी का नाम) की पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए(प्रस्तावित समाधान व्यावसायिक का नाम), जिसका रजिस्ट्रीकरण संख्यांक..... (रजिस्ट्रीकरण संख्यांक) है, के नाम का समाधान व्यावसायिक के रूप में नियुक्ति के लिए प्रस्ताव किया है ।

5. निम्नलिखित लेनदार(लेनदारों) ने(कारपोरेट ऋणी का नाम) की पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए(प्रस्तावित समाधान व्यावसायिक का नाम), जिसका रजिस्ट्रीकरण संख्यांक..... (रजिस्ट्रीकरण संख्यांक) है, की समाधान व्यावसायिक के रूप में नियुक्ति करने का अनुमोदन कर दिया है:-

क्रम सं.	**लेनदार(लेनदारों का(के) नाम**	**ऋण की रकम***	**ऋण की प्रतिशतता***	**मत**		
				सम्मत	**विसम्मत**	**अनुपस्थित**
I	II	III	IV	V	VI	VI
1						
2						
3						
कुल						

6. ऊपर उल्लिखित लेनदार(लेनदारों) ने(प्रस्तावित समाधान व्यावसायिक का नाम) की नियुक्ति के निम्नलिखित निबंधनों को भी अनुमोदित कर दिया है:

क्रम सं.	**विशिष्टियां**	**फीस(रकम ₹ में)**	**टिप्पणियां**
I	II	III	IV
1.	धारा 54ख की उपधारा (1) के अधीन कर्तव्यों का पालन करने के लिए समाधान व्यावसायिक को संदेय फीस		
2	धारा 54च के अधीन प्रक्रिया का संचालन करने के लिए समाधान व्यावसायिक को संदेय फीस और उसके द्वारा उपगत किए जाने वाले व्यय		
3	धारा 54ञ के अधीन कारपोरेट ऋणी के मामला प्रबंधन के लिए समाधान व्यावसायिक को संदेय फीस और उसके द्वारा उपगत किए जाने वाले व्यय		

7.(लेनदार का नाम) पैरा 5 में की सारणी मे उल्लिखित समस्त/सम्मत लेनदार(लेनदारों) की ओर से इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने के लिए सम्यक् रूप से प्राधिकृत है ।

[लेनदार का नाम]

(हस्ताक्षर)

(स्पष्ट अक्षरों में नाम)

(पदनाम)

*ऋण से उन वित्तीय लेनदारों को, जो कारपोरेट ऋणी के संबद्ध पक्षकार नहीं हैं, देय कुल वित्तीय ऋण अभिप्रेत है ।

(कृपया प्ररूप में उपयुक्त रूप से उपांतरण कर लें, जहां लेनदार परिचालन लेनदार हैं)

IndiaCode

प्ररूप पी4

.....(कारपोरेट ऋणी का नाम) की पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ करने के लिए अनुमोदन

[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2021 के विनियम 14(7) के अधीन]

1.(कारपोरेट ऋणी का नाम) की बाबत पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ करने का अनुमोदन प्रदान करने के लिए उन वित्तीय लेनदारों की, जो कारपोरेट ऋणी के संबद्ध पक्षकार नहीं हैं,(बैठक की तारीख) को(बैठक का समय).....(बैठक का स्थान) पर बैठक आयोजित की गई थी ।

2. उक्त बैठक की सूचना के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ संलग्न किए गए थे:

क. लेनदारों की सूची प्ररूप पी2 में;

ख. सदस्यों/भागीदारों द्वारा घोषणा की प्रति प्ररूप पी6 में;

ग. यथास्थिति, सदस्यों के विशेष संकल्प या भागीदारों के संकल्प की प्रति;

घ. आधारिक समाधान योजना; और

ङ. अन्य सुसंगत जानकारी या दस्तावेज़, यदि कोई हैं ।

3. उक्त बैठक में उपस्थित लेनदार(लेनदारों) के ब्यौरे उपाबंध-क के रूप में इससे संलग्न है ।

4. निम्नलिखित लेनदार(लेनदारों) ने कारपोरेट ऋणी का नाम) की बाबत पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ करने के लिए अनुमोदन कर दिया है:-

क्रम सं.	**लेनदार(लेनदारों का(के) नाम**	**ऋण की रकम***	**ऋण की प्रतिशतता***	**मत**		
				सम्मत	**विसम्मत**	**अनुपस्थित**
I	II	III	IV	V	V I	VI
1						
2						
3						
कुल						

5(लेनदार का नाम) उपर्युक्त सारणी मे उल्लिखित समस्त/सम्मत लेनदार(लेनदारों) की ओर से इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने के लिए सम्यक् रूप से प्राधिकृत है ।

[लेनदार का नाम]

(हस्ताक्षर)

(स्पष्ट अक्षरों में नाम)

(पदनाम)

*ऋण से उन वित्तीय लेनदारों को, जो कारपोरेट ऋणी के संबद्ध पक्षकार नहीं हैं, देय कुल वित्तीय ऋण अभिप्रेत है ।

(कृपया प्ररूप में उपयुक्त रूप से उपांतरण कर लें, जहां लेनदार परिचालन लेनदार हैं)

IndiaCode

प्ररूप पी5

प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए लिखित सहमति

[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2021 के विनियम 15(3) के अधीन]

(तारीख)

प्रेषक:

[दिवाला व्यावसायिक का नाम]

[दिवाला व्यावसायिक का रजिस्ट्रीकरण संख्यांक]

[बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत दिवाला व्यावसायिक का पता]

सेवा में,

[समाधान व्यावसायिक का नाम]

(कारपोरेट ऋणी का नाम) की पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया का समाधान व्यावसायिक

विषय: प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने की लिखित सहमति ।

1. मैं, (नाम) (दिवाला व्यावसायिक एजेंसी का नाम) के पास नामांकित और बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत दिवाला व्यावसायिक यह नोट करता हूं कि आपने मुझे(कारपोरेट ऋणी का नाम) की पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए(वर्ग विनिर्दिष्ट करें) वर्ग में वित्तीय लेनदारों के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव किया है ।

2. मैं प्रस्तावित नियुक्ति के लिए अपनी सहमति देता हूं ।

3. मेरे पास इस समय निम्नलिखित प्रक्रियाएं हैं:

क्रम सं.	**भूमिका**	**सहमति की तारीख को प्रक्रियाओं की संख्या**
I	II	III
1	अंतरिम समाधान व्यावसायिक	
2	क. कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रियाओं ख. पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रियाओं ग. व्यष्टियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रियाओं में समाधान व्यावसायिक	
3	क. समापन प्रक्रियाओं ख. स्वेच्छया समापन प्रक्रियाओं का परिसमापक	
4	शोधन-अक्षमता न्यासी	
5	प्राधिकृत प्रतिनिधि	
6	कोई अन्य (कृपया वर्णन करें)	

4. मैं निम्न प्रकार घोषणा और प्रतिज्ञान करता हूं:-

क). मैं बोर्ड या दिवाला व्यावसायिक एजेंसी द्वारा संस्थित किसी अनुशासनात्मक कार्यवाही के अध्यधीन नहीं हूं।

ख). मैं समाधान व्यावसायिक के रूप में कार्य करने संबंधी किसी निःशक्तता से ग्रस्त नहीं हूं।

ग). मैं लेनदारों से मेरे पक्ष में अपनी पसन्द उपदर्शित करने के लिए प्रचार नहीं करूंगा।

तारीख: स्थान:	(दिवाला व्यावसायिक के हस्ताक्षर रजिस्ट्रीकरण संख्यांक---------- नियतकार्य के लिए प्राधिकार-पत्र सं.(ए.एफ.ए.) ए.एफ.ए. के समाप्त होने की तारीख..... (स्पष्ट अक्षरों में नाम) (दिवाला व्यावसायिक संस्था का नाम, यदि लागू हो)

प्ररूप पी6

निदेशक/भागीदारों द्वारा घोषणा

[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2021 के विनियम 16(1) के अधीन]

(तारीख)

सेवा में,

न्यायनिर्णायक प्राधिकारी

[न्यायपीठ]

विषय: [कारपोरेट ऋणी का नाम] की बाबत पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ करने के लिए घोषणा

हम

क्रम सं.	नाम और पदनाम	निदेशक पहचान संख्यांक	पता
I	II	III	IV
1			
2			
3			

जो[कारपोरेट ऋणी का नाम] के निदेशकों/भागीदारों में से बहुमत का प्रतिनिधित्व करते हैं और हमारा रजिस्ट्रीकृत कार्यालय.....(पता) स्थित है, निम्न प्रकार घोषणा और प्रतिज्ञान करते हैं:

i. कारपोरेट ऋणी(दिनों की संख्या अंतःस्थापित करें) के भीतर पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ करने के लिए आवेदन फाइल करेगा;

ii. पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया किसी व्यक्ति के साथ कपट करने के लिए आरंभ नहीं की जा रही है;

IndiaCode

iii. लेनदारों ने भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2021 के विनियन 8 के साथ पठित धारा 54क की उपधार (2) के खंड (ङ) के अधीन बुलाई गई(बैठक की तारीख) को आयोजित बैठक में(दिवाला व्यावसायिक का नाम), जिसका रजिस्ट्रीकरण संख्यांक.....(रजिस्ट्रीकरण संख्यांक) है, के नाम का अनुमोदन किया है।

iv. कारपोरेट ऋणी के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं:

क्रम सं.	**शीर्ष**	**ब्यौरे**
I	II	III
1.	कारपोरेट ऋणी का नाम	
2.	कारपोरेट ऋणी का रजिस्ट्रीकृत पता	
3.	कारपोरेट ऋणी के निगमन की तारीख	
4.	पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ करने के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के पास आवेदन फाइल करने की अनुमानित तारीख	

v. घोषणा की अंतर्वस्तु सही और सत्य है और हमने कुछ भी छिपाया नहीं है तथा इसका कोई भी भाग मिथ्या नहीं है।

तारीख: स्थान:	(निदेशक/भागीदार के हस्ताक्षर)..... (नाम स्पष्ट आक्षरों में)..... डी.आई.एन..... पता.....
तारीख: स्थान:	(निदेशक/भागीदार के हस्ताक्षर)..... (नाम स्पष्ट आक्षरों में)..... डी.आई.एन..... पता.....

(बिन्दु 1 में उल्लिखित सभी निदेशकों/भागीदारों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने हैं)

प्ररूप पी7

परिवर्जनीय संव्यवहार की विद्यमानता के संबंध में घोषणा

[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2021 के विनियम 16(2) के अधीन]

(तारीख)

सेवा में,

न्यायनिर्णायक प्राधिकारी

[न्यायपीठ]

मैं.....(नाम)(कारपोरेट ऋणी का नाम) का प्रबंध निदेशक/अध्यक्ष/अभिहित भागीदार/भागीदार (निदेशक, यदि कोई प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष नहीं है), जिसका पहचान संख्यांक---- (पहचान संख्यांक) है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय.....(पता) पर स्थित है, यह घोषणा और प्रतिज्ञान करता हूं कि –

(उस भाग को काट दीजिए, जो सुसंगत नहीं है)

i. कारपोरेट ऋणी दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016(संहिता) के अध्याय 3 या अध्याय 6 के अर्थान्तर्गत और व्याप्ति के अधीन किसी भी संव्यवहार के अध्यधीन नहीं रहा है ।

या

ii. कारपोरेट ऋणी अध्याय 3 या अध्याय 6 के अर्थान्तर्गत और व्याप्ति के अधीन निम्नलिखित संव्यवहार(संव्यवहारों) के अध्यधीन रहा है।

क्रम सं.	**किसके साथ संव्यवहार**	**धारा(43/45/50/66)**	**अंतर्वलित रकम (₹ में)**	**टिप्पणी, यदि कोई है**
I	II	III	IV	V
1.				
2.				
3.				

सुसंगत दस्तावेज़ों सहित ऊपर उल्लिखित संव्यवहार(संव्यवहारों) के ब्यौरे देते हुए एक टिप्पण उपाबंध-क के रूप में संलग्न है ।

स्थान:

तारीख:

(हस्ताक्षर)

नाम

पदनाम

डी.आई.एन.

पता

IndiaCode

प्ररूप पी8

दिवाला व्यावसायिक की रिपोर्ट

[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2021 के विनियम 17 के अधीन]

मैं.....(दिवाला व्यावसायिक का नाम) जिसे(कारपोरेट ऋणी का नाम) की पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया की बाबत(कारपोरेट ऋणी का नाम) के समाधान व्यावसायिक के रूप में नियुक्ति के लिए प्रस्तावित, निम्न प्रकार घोषणा और प्रतिज्ञान करता हूं:

1. मैने ऐसी सभी जानकारी और स्पष्टीकरणों की ईप्सा की है और उन्हें अभिप्राप्त कर लिया है, जो मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016(संहिता) की धारा 54ख और उसके अधीन बनाए गए विनियमों के अधीन रिपोर्ट तैयार करने के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हैं ।

2. मैने कारपोरेट ऋणी की प्रास्थिति का अभिनिश्चय करने के लिए अपेक्षित सुसंगत दस्तावेज़ों और जानकारी की परीक्षा की है और मैं यह पुष्टि करता हूं कि(कारपोरेट ऋणी का नाम) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006(2006 का 27) की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन एक सूक्ष्म/लघु/मध्यम उद्यम है ।

3. मैं यह पुष्टि करता हूं कि:

i. कारपोरेट ऋणी ने यह आवेदन किए जाने की तारीख से पिछले तीन वर्षों की अवधि के दौरान पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया नहीं की है या कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया पूरी नहीं की है;

ii कारपोरेट ऋणी के विरुद्ध कोई कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया नहीं चल रही है;

iii. कारपोरेट ऋणी की बाबत कोई समापन आदेश नहीं किया गया है;

iv. कारपोरेट ऋणी के अधिकांश निदेशकों/भागीदारों ने धारा 54क की उपधारा (2) के खंड (ङ) के अनुसरण में प्ररूप पी6 में एक घोषणा की है; [संलग्नक]

v. कारपोरेट ऋणी के सदस्यों ने पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ करने के लिए आवेदन फाइल करने का अनुमोदन करते हुए एक विशेष संकल्प पारित किया है या कारपोरेट ऋणी के भागीदारों की कुल संख्या के तीन चौथाई भागीदारों ने एक संकल्प पारित किया है;

vi. कारपोरेट ऋणी के उन लेनदारों ने, जो ऋण* केप्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं, धारा 54क की उपधारा (2) के खंड (ङ) के अधीन यथापेक्षित समाधान व्यावसायिक की नियुक्ति के प्रस्ताव का अनुमोदन प्ररूप पी3 में कर दिया है;

vii. कारपोरेट ऋणी के उन लेनदारों ने, जो ऋण* केप्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं,(कारपोरेट ऋणी का नाम) की बाबत पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ करने के लिए धारा 54क की उपधारा (3) के अधीन यथापेक्षित प्रस्ताव का अनुमोदन प्ररूप पी4 में कर दिया है;

viii. कारपोरेट ऋणी द्वारा उपगत व्यतिक्रम की रकम संहिता की धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचित सीमा के भीतर है ।

4. मैने लेनदार (लेनदारों) को धारा 54क की उपधारा (4) के खंड (ग) के अधीन उपलब्ध की गई आधारिक समाधान योजना की परीक्षा की है और यह पुष्टि करता हूं कि वह धारा 30 की उपधारा (1) और (2) और धारा 54ट का और भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिय) विनियम, 2021 और अन्य सभी लागू उपबंधों का अनुपालन करती है ।

तारीख:

स्थान:

(हस्ताक्षर)

दिवाला व्यावसायिक का नाम

रजिस्ट्रीकरण संख्यांक

*ऋण से उन वित्तीय लेनदारों को, जो कारपोरेट ऋणी के संबद्ध पक्षकार नहीं हैं, देय कुल वित्तीय ऋण अभिप्रेत है ।

प्ररूप पी9

सार्वजनिक उद्घोषणा

[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2021 के विनियम 19(2) के अधीन]

.....(कारपोरेट ऋणी का नाम) के लेनदारों के ध्यानाकर्षण के लिए

यह सूचना दी जाती है कि न्यायनिर्णायक प्राधिकारी--------न्यायपीठ ने (कारपोरेट ऋणी का नाम) के लिए(पूर्व निर्धारित दिवाला प्रारभ होने की तारीख) को पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रारंभ करने का आदेश कर दिया है ।

सुसंगत विशिष्टियां		
I	**II**	**III**
1.	कारपोरेट ऋणी का नाम	
2.	पूर्ववर्ती नाम, यदि पिछले दो वर्षों में बदला गया हो	
3.	कारपोरेट ऋणी के निगमन की तारीख	
4.	वह प्राधिकार, जिसके अधीन कारपोरेट ऋणी निगमित/रजिस्ट्रीकृत है	

IndiaCode

5.	पहचान संख्यांक	
6.	कारपोरेट ऋणी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय और प्रधान कार्यालय (यदि कोई है) का पता	
7.	प्री-पैकेज दिवाला प्रक्रिया प्रारंभ होने की तारीख	
8.	समाधान व्यावसायिक का नाम और रजिस्ट्रीकरण संख्यांक	
9.	समाधान व्यावसायिक का, बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत पता और ई-मेल	
10.	समाधान व्यावसायिक के साथ पत्र-व्यवहार के लिए प्रयुक्त पता और ई-मेल	
11.	दावों की सूची (तारीख अंतःस्थापित करें) से उपलब्ध कराई जाएगी:	

(हस्ताक्षर)

समाधान व्यावसायिक का नाम और पता

तारीख:

स्थान:

प्ररूप पी10

दावों की सूची

[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2021 के विनियम 20 के अधीन]

_____ को यथा-विद्यमान

(रकम ₹ में)

क्रम सं.	**लेनदार का वर्ग**	**दावों का सार**		**आकस्मिक दावों की रकम**	**उपाबंध में ब्यौरे**	**टिप्पणी, यदि कोई है**
		दावों की सं.	**रकम**			
I	II	III	IV	V	VI	VI
1	लेनदारों के किसी भी वर्ग से संबंधित प्रतिभूत वित्तीय लेनदार				1	
2	लेनदारों के किसी भी वर्ग से संबंधित अप्रतिभूत वित्तीय लेनदार				2	
3	प्रतिभूत वित्तीय लेनदार (किसी भी वर्ग से संबंधित वित्तीय लेनदारों से भिन्न)				3	
4	अप्रतिभूत वित्तीय लेनदार (किसी भी वर्ग से संबंधित वित्तीय लेनदारों से भिन्न)				4	
5	परिचालन लेनदार (कर्मकार)				5	
6	परिचालन लेनदार (कर्मचारी)				6	
7	परिचालन लेनदार (सरकारी देय)				7	
8	परिचालन लेनदार (कर्मकारों, कर्मचारियों और सरकारी देयों से भिन्न)				8	

IndiaCode

9	अन्य लेनदार, यदि कोई हैं (वित्तीय लेनदारों और परिचालन लेनदारो से भिन्न)				9	
कुल						

[कारपोरेट ऋणी की ओर से] हस्ताक्षर जानकारी प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का नाम कारपोरेट ऋणी से संबंध	**या**	[समाधान व्यावसायिक की ओर से] हस्ताक्षर दिवाला व्यावसायिक का नाम रजिस्ट्रीकरण संख्यांक-----

उपाबंध 1

कारपोरेट ऋणी का नाम_____

पी.पी.आई.आर.पी. के प्रारंभ होने की तारीख_____

_____को यथा-विद्यमान लेनदारों की सूची

लेनदारों के किसी भी वर्ग से संबंधित प्रतिभूत वित्तीय लेनदारों की सूची

(रकम ₹ में)

क्रम सं.	लेनदार का नाम	पहचान सं.	दावों के ब्यौरे						आकस्मिक दावे की रकम	किन्हीं पारस्परिक देयों की रकम, जिसका समायोजन किया जा सकेगा	टिप्पणी, यदि कोई है
			दावे की रकम	दावे की प्रकृति	प्रतिभूति हित के अंतर्गत आने वाली रकम	प्रत्याभूति के अंतर्गत आने वाली रकम	क्या संबद्ध पक्षकार है?	समिति में मतदान शेयर की प्रतिशतता			
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1											
2											
3											

उपाबंध 2

कारपोरेट ऋणी का नाम_____

पी.पी.आई.आर.पी. के प्रारंभ होने की तारीख_____

_____को यथा-विद्यमान लेनदारों की सूची

लेनदारों के किसी भी वर्ग से संबंधित अप्रतिभूत वित्तीय लेनदारों की सूची

IndiaCode

(रकम ₹ में)

क्रम सं.	लेनदार का नाम	पहचान सं.	दावों के ब्यौरे					आकस्मिक दावे की रकम	किन्हीं पारस्परिक देयों की रकम, जिसका समायोजन किया जा सकेगा	टिप्पणी, यदि कोई है
			दावे की रकम	दावे की प्रकृति	प्रत्याभूति के अंतर्गत आने वाली रकम	क्या संबद्ध पक्षकार है?	समिति में मतदान शेयर की प्रतिशतता			
I	II	III	IV`	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
1										
2										
3										

उपाबंध 3

कारपोरेट ऋणी का नाम_____

पी.पी.आई.आर.पी. के प्रारंभ होने की तारीख_____

_____को यथा-विद्यमान लेनदारों की सूची

प्रतिभूत वित्तीय लेनदारों की सूची (लेनदारों के किसी भी वर्ग संबंधित वित्तीय लेनदारों से भिन्न)

IndiaCode

(रकम ₹ में)

क्रम सं.	लेनदार का नाम	पहचान सं.	दावों के ब्यौरे						आकस्मिक दावे की रकम	किन्हीं पारस्परिक देयों की रकम, जिसका समायोजन किया जा सकेगा	टिप्पणी, यदि कोई है
			दावे की रकम	दावे की प्रकृति	प्रतिभूति हित के अंतर्गत आने वाली रकम	प्रत्याभूति के अंतर्गत आने वाली रकम	क्या संबद्ध पक्षकार है?	समिति में मतदान शेयर की प्रतिशतता			
I	II	III	IV`	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1											
2											
3											

उपाबंध 4

कारपोरेट ऋणी का नाम_____

पी.पी.आई.आर.पी. के प्रारंभ होने की तारीख_____

_____को यथा-विद्यमान लेनदारों की सूची

अप्रतिभूत वित्तीय लेनदारों की सूची (लेनदारों के किसी भी वर्ग संबंधित वित्तीय लेनदारों से भिन्न)

(रकम ₹ में)

क्रम सं.	लेनदार का नाम	पहचान सं.	दावों के ब्यौरे					आकस्मिक दावे की रकम	किन्हीं पारस्परिक देयों की रकम, जिसका समायोजन किया जा सकेगा	टिप्पणी, यदि कोई है
			दावे की रकम	दावे की प्रकृति	प्रत्याभूति के अंतर्गत आने वाली रकम	क्या संबद्ध पक्षकार है?	समिति में मतदान शेयर की प्रतिशतता			
I	II	III	IV`	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
1										
2										
3										

उपाबंध 5

कारपोरेट ऋणी का नाम_____

पी.पी.आई.आर.पी. के प्रारंभ होने की तारीख_____

_____को यथा-विद्यमान लेनदारों की सूची

परिचालन लेनदारों की सूची (कर्मकार)

(रकम ₹ में)

क्रम सं.	कर्मकार का नाम	पहचान सं.	दावों के ब्यौरे				आकस्मिक दावे की रकम	किन्हीं पारस्परिक देयों की रकम, जिसका समायोजन किया जा सकेगा	टिप्पणी, यदि कोई है
			दावे की रकम	दावे की प्रकृति	क्या संबद्ध पक्षकार है?	समिति में मतदान शेयर की प्रतिशतता			
I	II	III	IV`	V	VI	VII	VIII	IX	X
1									
2									
3									

IndiaCode

उपाबंध 6

कारपोरेट ऋणी का नाम_____

पी.पी.आई.आर.पी. के प्रारंभ होने की तारीख_____

_____को यथा-विद्यमान लेनदारों की सूची

परिचालन लेनदारों की सूची (कर्मचारी)

(रकम ₹ में)

क्रम सं.	कर्मचारी का नाम	पहचान सं.	दावों के ब्यौरे				आकस्मिक दावे की रकम	किन्हीं पारस्परिक देयों की रकम, जिसका समायोजन किया जा सकेगा	टिप्पणी, यदि कोई है
			दावे की रकम	दावे की प्रकृति	क्या संबद्ध पक्षकार है?	समिति में मतदान शेयर की प्रतिशतता			
I	II	III	IV`	V	VI	VII	VIII	IX	X
1									
2									
3									

उपाबंध 7

कारपोरेट ऋणी का नाम_____

पी.पी.आई.आर.पी. के प्रारंभ होने की तारीख_____

_____को यथा-विद्यमान लेनदारों की सूची

परिचालन लेनदारों की सूची (सरकारी देय)

(रकम ₹ में)

क्रम सं.	सरकारी संगठन का नाम			दावों के ब्यौरे					आकस्मिक दावे की रकम	किन्हीं पारस्परिक देयों की रकम, जिसका समायोजन किया जा सकेगा	टिप्पणी, यदि कोई है
	विभाग	सरकार	पहचान	दावे की रकम	दावे की प्रकृति	प्रतिभूति हित के अंतर्गत आने वाली रकम	प्रत्याभूति के अंतर्गत आने वाली रकम	समिति में मतदान शेयर की प्रतिशतता			
I	II	III	IV	V`	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1											
2											
3											

IndiaCode

उपाबंध 8

कारपोरेट ऋणी का नाम_____

पी.पी.आई.आर.पी. के प्रारंभ होने की तारीख_____

_____को यथा-विद्यमान लेनदारों की सूची

परिचालन लेनदारों की सूची (कर्मकारों और कर्मचारियों तथा सरकारी देयों से भिन्न)

(रकम ₹ में)

क्रम सं.	लेनदार का नाम	पहचान सं.	दावों के ब्यौरे						आकस्मिक दावे की रकम	किन्हीं पारस्परिक देयों की रकम, जिसका समायोजन किया जा सकेगा	टिप्पणी, यदि कोई है
			दावे की रकम	दावे की प्रकृति	प्रतिभूति हित के अंतर्गत आने वाली रकम	प्रत्याभूति के अंतर्गत आने वाली रकम	क्या संबद्ध पक्षकार है?	समिति में मतदान शेयर की प्रतिशतता			
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1											
2											
3											

उपाबंध 9

कारपोरेट ऋणी का नाम_____

पी.पी.आई.आर.पी. के प्रारंभ होने की तारीख_____

_____को यथा-विद्यमान लेनदारों की सूची

अन्य लेनदारों की सूची (वित्तीय लेनदारों और परिचालन लेनदारों से भिन्न)

(रकम ₹ में)

क्रम सं.	लेनदार का नाम	पहचान सं.	दावों के ब्यौरे					आकस्मिक दावे की रकम	किन्हीं पारस्परिक देयों की रकम, जिसका समायोजन किया जा सकेगा	टिप्पणी, यदि कोई है
			दावे की रकम	दावे की प्रकृति	प्रतिभूति हित के अंतर्गत आने वाली रकम	प्रत्याभूति के अंतर्गत आने वाली रकम	क्या संबद्ध पक्षकार है?			
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
1										
2										
3										

IndiaCode

प्ररूप पी11

समाधान योजनाओं के लिए आमंत्रण

[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2021 के विनियम 43 के अधीन]

सुसंगत विशिष्टियां		
I	**II**	**III**
1.	कारपोरेट ऋणी का नाम	
2.	पूर्ववर्ती नाम, यदि पिछले दो वर्षों में बदला गया हो	
3.	कारपोरेट ऋणी के निगमन की तारीख	
4.	वह प्राधिकार, जिसके अधीन कारपोरेट ऋणी निगमित/रजिस्ट्रीकृत है	
5.	पहचान संख्यांक	
6.	कारपोरेट ऋणी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय और प्रधान कार्यालय (यदि कोई है) का पता	
7.	प्री-पैकेज दिवाला प्रक्रिया प्रारंभ होने की तारीख	
8.	समाधान योजनाओं के लिए आमंत्रण की तारीख	
9.	समाधान आवेदक के लिए पात्रता	
10.	धारा 29क के अधीन लागू अपात्रता के मानदंड	
11.	मूल्यांकन के लिए आधार(जिसके अंतर्गत महत्वपूर्ण रूप से सुधार और टिक आकार से संबंधित ब्यौरे भी हैं)	
12	'समाधान योजना का आमंत्रण', मूल्यांकन के आधार(जिसके अंतर्गत महत्वपूर्ण रूप से सुधार और टिक आकार से संबंधित ब्यौरे भी हैं), सूचना ज्ञापन और अतिरिक्त जानकारी अभिप्राप्त करने की रीति	
13	समाधान योजनाएं प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	
14	समाधान व्यावसायिक को समाधान योजनाएं प्रस्तुत करने की रीति	
15	समाधान योजना अनुमोदन के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को प्रस्तुत करने की अनुमानित तारीख	
16	समाधान व्यावसायिक का नाम और रजिस्ट्रीकरण संख्यांक	
17	समाधान व्यावसायिक का, बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत पता और ई-मेल	
18	समाधान व्यावसायिक के साथ पत्र-व्यवहार के लिए प्रयुक्त पता और ई-मेल	
19	अतिरिक्त जानकारी कहां और किसके पास उपलब्ध है:	
20	प्ररूप के प्रकाशन की तारीख	

तारीख: (हस्ताक्षर)

स्थान: समाधान व्यावसायिक का नाम

रजिस्ट्रीकरण संख्यांक

रजिस्ट्रीकृत पता

IndiaCode

प्ररूप पी11

अनुपालन प्रमाणपत्र

[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2021 के विनियम 49(1) के अधीन]

मैं,(समाधान व्यावसायिक का नाम) (दिवाला व्यावसायिक संस्था का नाम) के पास नामांकित और बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकरण संख्यांक.....(रजिस्ट्रीकरण संख्यांक) से रजिस्ट्रीकृत(कारपोरेट ऋणी का नाम) की पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया(पी.पी.आर.पी.पी.) के लिए समाधान व्यावसायिक हूं।

2. पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया का विवरण:

क्रम सं.	**विशिष्टियां**	**विवरण**
1	कारपोरेट ऋणी का नाम	
2	पी.पी.आई.आर.पी. के आरंभ होने की तारीख	
3	समाधान व्यावसायिक नियुक्त करने की तारीख	
4	सार्वजनिक उद्घोषणा के प्रकाशन की तारीख	
5	समिति के गठन की तारीख	
6	समिति की पहली बैठक की तारीख	
7	रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक की नियुक्ति की तारीख	
8	आधारिक समाधान योजना प्रस्तुत करने की तारीख	
9	परव्यक्ति समाधान आवेदक से समाधान योजनाओं के आमंत्रण की तारीख	
10	कारपोरेट ऋणी को अपनी समाधान योजना में सुधार करने के लिए आमंत्रित करने की तारीख, यदि लागू हो	
11.	समाधान योजना के आमंत्रण जारी करने की तारीख(यदि लागू हो)	
12	समाधान योजना प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	
13	समिति द्वारा समाधान योजना के अनुमोदन की तारीख	
14	न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष समाधान योजना फाइल करने की तारीख	
15	पी.पी.आई.आर.पी. के एक सौ बीस दिन समाप्त होने की तारीख	
16	उचित मूल्य	
17	समापन मूल्य	
18	समिति की आयोजित बैठकों की संख्या	

3. मैंने कारपोरेट ऋणी/परव्यक्ति समाधान आवेदक (.....) से प्राप्त और..... समिति द्वारा अनुमोदित समाधान योजना की परीक्षा की है।

4. मैं यह प्रमाणित करता हूं कि –

क. उक्त समाधान योजना दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016(संहिता), भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2021 के समस्त उपबंधों का अनुपालन करती है और यह तत्समय प्रवृत्त विधि के किसी भी उपबंध का उल्लंघन नहीं करती है।

ख. कारपोरेट ऋणी/परव्यक्ति समाधान आवेदक (.....) ने संहिता की धारा 30(1) के अनुसरण में एक शपथपत्र प्रस्तुत किया है जिसके द्वारा समाधान योजना प्रस्तुत करने संबंधी संहिता की धारा 29क के अधीन उसकी पात्रता को पुष्ट किया गया है। उक्त शपथपत्र की अंतर्वस्तु सही है।

IndiaCode

ग. उक्त समाधान योजना का समिति द्वारा संहिता और उसके अधीन बनाए गए विनियमों के उपबंधों के अनुसार अनुमोदन कर दिया गया है। समाधान योजना पी.पी.आई.आर.पी. विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट साध्यता और व्यवहार्यता और अन्य अपेक्षाओं पर विचार करने के पश्चात् वित्तीय लेनदारों के प्रतिशत (मतों की संख्या का वर्णन करें, जिसके द्वारा समाधान योजना का समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है) मतदान शेयर द्वारा अनुमोदित की गई है।

घ. मतदान का आयोजन समिति की(बैठक की तारीख का कथन करें) को हुई बैठक में किया गया था जहां समिति के समस्त सदस्य उपस्थित थे।

या

मैने इलैक्ट्रानिक मतदान पद्धति द्वारा समिति के सदस्यों से मतदान की ईप्सा की थी, कम से कम 24/48 घंटे के लिए खुला रखा गया था।

(जो भाग लागू न हो उसे काट दीजिए)

5. (कारपोरेट ऋणी का नाम) के उन वित्तीय लेनदारों की सूची, जो कि समिति के सदस्य हैं और उनके बीच मतदान शेयर का वितरण:-

क्रम सं.	**लेनदार का नाम**	**मतदान शेयर (प्रतिशत)**	**समाधान योजना के लिए मतदान (पक्ष में मत/विपक्ष में मत/अनुपस्थित)**
I	II	II	IV
1			
2			
3			

6. समाधान योजना के अंतर्गत विनियमों के विनियम 44 के अधीन इस संबंध में कथन शामिल है कि इसमें संहिता और उसके अधीन बनाए गए विनियमों के अनुपालन में सभी हितधारकों के हितों पर किस प्रकार विचार किया गया है।

7. समाधान योजना के अधीन हितधारकों के लिए उपबंधित रकम:-

(रकम लाख रुपयों में)

क्रम सं.	हितधारक का प्रवर्ग*	हितधारक का उप-प्रवर्ग	दावे की रकम	स्वीकृत रकम	योजना के अधीन उपबंधित रकम#	दावाकृत रकम के मुकाबले दी गई रकम(%)
I	II	III	IV	V	VI	VII
1	प्रतिभूत वित्तीय लेनदार	(क)वे लेनदार, जिन्हें धारा 21 की उपधारा (2) के अधीन मत का अधिकार नहीं है				
		(ख) उपर्युक्त (क) से भिन्न (i) जिन्होंने समाधान योजना के पक्ष में मत नहीं किया था (ii)जिन्होंने समाधान योजना के पक्ष में मत किया था				
		कुल [(क)+ (ख)]				
2	अप्रतिभूत वित्तीय लेनदार	क)वे लेनदार, जिन्हें धारा 21 की उपधारा (2) के अधीन मत का अधिकार नहीं है				
		(ख) उपर्युक्त (क) से भिन्न				

IndiaCode

		(i) जिन्होंने समाधान योजना के पक्ष में मत नहीं किया था (ii)जिन्होंने समाधान योजना के पक्ष में मत किया था				
		कुल [(क)+ (ख)]				
3	परिचालन लेनदार	(क)कारपोरेट ऋणी का संबद्ध पक्षकार				
		(ख)ऊपर (क) से भिन्न (i) सरकार (ii)कर्मकार (iii)कर्मचारी (iv)……				
		कुल [(क)+(ख)]				
4	अन्य ऋण और देय					
कुल योग						

*यदि किसी प्रवर्ग में उप-प्रवर्ग हैं तो कृपया प्रत्येक उप-प्रवर्ग के लिए पंक्ति जोड़े।

#समाधान योजना के अधीन समय-समय पर दी गई रकम और इसमें गैर-नकदी संघटकों का अनुमानित मूल्य भी शामिल है। यह शुद्ध वर्तमान मूल्य नहीं है।

8. समाधान योजना द्वारा विद्यमान शेयरधारकों के हितों में परिवर्तन हुआ है:

क्रम सं.	**शेयरधारक का प्रवर्ग**	**पी.पी.आई.आर.पी. से पूर्व धारित शेयरों की संख्या**	**पी.पी.आई.आर.पी. के पश्चात् धारित शेयरों की संख्या**	**पी.पी.आई.आर.पी. से पूर्व धारित मतदान शेयर(%)**	**पी.पी.आई.आर.पी. के पश्चात् धारित मतदान शेयर(%)**
I	II	III	IV	V	VI
1	साधारण पूंजी				
2	अधिमान				
3					

9. समाधान योजना का अनुपालन:-

संहिता की धारा/ विनियम सं.	**समाधान योजना की बाबत अपेक्षा**	**समाधान योजना का खंड**	**अनुपालन (हां/नहीं)**
I	II	III	IV
धारा 29क	क्या समाधान आवेदक, समाधान व्यावसायिक की अंतिम सूची या न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के आदेश, यदि कोई है, के अनुसार समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए पात्र है?(जहां लागू हो)		

IndiaCode

धारा 30(1ग)	क्या समाधान आवेदक ने यह कथन करते हुए कोई शपथपत्र प्रस्तुत किया है कि वह पात्र है?		
धारा 30(2)	क्या समाधान योजना में- (क) दिवाला समाधान प्रक्रिया की लागत के संदाय के लिए उपबंध है; (ख) परिचालन लेनदारों को संदाय करने के लिए उपबंध है; (ग)उन वित्तीय लेनदारों को, जिन्होंन समाधान योजना के पक्ष में मत नहीं किया था, संदाय करने के लिए उपबंध है; (घ)कारपोरेट ऋणी के कामकाज के प्रबंधन के लिए उपबंध है; (ङ)समाधान योजना के कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण के लिए उपबंध है; (च)तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों का उल्लंघन किया गया है ।		
धारा 54ट(4) या (12) और विनियम 45	क्या समाधान योजना - (क) समिति के अनुसार साध्य और व्यवहार्य है; (ख) समिति द्वारा 66 प्रतिशत मतदान शेयर सहित अनुमोदित है;		
धारा 31(1)	क्या समाधान योजना में समिति के अनुसार उसके प्रभावी कार्यान्वयन योजना के लिए उपबंध हैं;		
विनियम 41	क्या समाधान व्यावसायिक ने दिवाला प्रक्रिया प्रारंभ होने की तारीख से पैंतालीसवें दिन से पूर्व बोर्ड को सूचित करते हुए विनियम 41 के अधीन अवधारण किया है;		
विनियम 45(5)	क्या समाधान योजना के अधीन परिचालन लेनदारों को देय रकम के संदाय के मामले मे वित्तीय लेनदारों के मुकाबले प्राथमिकता दी गई है;		
विनियम 45(4)	क्या समाधान योजना में यह कथन शामिल है कि उसमें सभी हितधारकों के हितों पर किस प्रकार विचार किया गया है;		
विनियम 45(1)	(i) क्या समाधान आवेदक या उसका कोई संबद्ध पक्षकार संहिता के अधीन अनुमोदित किसी समाधान योजना को कार्यान्वित करने में असफल रहा है या उसने उसके कार्यान्वयन की असफलता में योगदान किया है; (ii) यदि ऐसा है तो क्या समाधान आवेदक ने ऐसे अकार्यान्वयन के ब्यौरे देते हुए कथन प्रस्तुत		

IndiaCode

	किया है		
विनियम 45(2)	क्या समाधान योजना में निम्नलिखित उपबंध हैं- (क)योजना की अवधि और उसकी कार्यान्वयन अनुसूची; (ख) उसकी अवधि के दौरान कारपोरेट ऋणी के कारबार के प्रबंधन और नियंत्रण के लिए; (ग)उसके कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण के लिए पर्याप्त साधन		
विनियम 45(3)	क्या समाधान योजना यह प्रदर्शित करती है कि- (क)इसमें व्यतिक्रम के कारण को दूर किया गया है; (ख)यह साध्य और व्यवहार्य है? (ग)इसमें इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपबंध हैं; (घ) इसमें अपेक्षित अनुमोदनों और उसके लिए समय-सीमा के लिए उपबंध हैं; (ङ)समाधान आवेदक, समाधान योजना को कार्यान्वित करने में समर्थ है;		
विनियम 41(3)	क्या समाधान व्यावसायिक ने उसके द्वारा सप्रेक्षित, पाए गए या अवधारित संव्यवहारों की बाबत आवेदन फाइल किए हैं;		
विनियम 43(5)	विनियम 43 के उप-विनियम (5) में यथा-निर्दिष्ट प्राप्त कार्यनिष्पादन प्रतिभूति के ब्यौरे उपलब्ध किए गए हैं ।		
धारा 54ट	क्या आधारिक समाधान योजना का समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है – (i) क्या ऐसी समाधान योजना में कारपोरेट ऋणी द्वारा देय किन्हीं दावों के ह्रास के लिए उपबंध है; (ii) यदि आधारिक समाधान योजना में कारपोरेट ऋणी द्वारा देय किन्हीं दावों के ह्रास के लिए उपबंध है, तो क्या ऐसी समाधान योजना में कारपोरेट ऋणी में संप्रवर्तक की शेयरधारिता या मतदान या नियंत्रण अधिकारों को कम करने का उपबंध है? यदि ऐसा है, तो क्या समिति ने ऐसी आधारिक योजना का अनुमोदन करने से पूर्व इसके लिए कारण अभिलिखित किए हैं;		

IndiaCode

10. सुसंगत अनुमोदन प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित समय सीमा:

क्रम सं.	अनुमोदन की प्रकृति	लागू विधि का नाम	उस प्राधिकारी का नाम जो अनुमोदन प्रदान करेगा	कब प्राप्त किया जाना है
I	II	III	IV	V
1				
2				
3				

11. समाधान योजना किसी आकस्मिकता के अध्यधीन नहीं है। **या**

समाधान योजना निम्नलिखित आकस्मिकताओं के अध्यधीन है (आकस्मिकताओं का विस्तृत ब्यौरा दें)

i.....

ii……

12, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016, उसके अधीन बनाए गए विनियमों के उपबंधों या जारी परिपत्रों के विचलन/अननुपालन निम्नलिखित हैं (यदि कोई विचलन/अननुपालन पाया जाता है तो कृपया उसके ब्यौरे और कारणों का कथन करें)

क्रम सं.	पाया गया विचलन/अननुपालन	संहिता की धारा/ विनियम सं./ परिपत्र सं.	कारण	क्या सुधार किया गया अथवा नहीं
I	II	III	IV	V
1				
2				
3				

IndiaCode

13. समाधान योजना पी.पी.आई.आर.पी. की अवधि समाप्त होने से.....दिन पूर्व फाइल की जा रही है।

14. धारा 66 या फाइल किए गए/लंबित परिवर्जन आवेदन, यदि कोई हैं, के ब्यौरे दें।

क्रम सं.	संव्यवहार का प्रकार	न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष फाइल करने की तारीख	न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के आदेश की तारीख	आदेश का संक्षिप्त विवरण
I	II	III	IV	V
1.	धारा 43 के अधीन अधिमानी संव्यवहार			
2.	धारा 45 के अधीन अधोमूल्यांकित संव्यवहार			
3.	धारा 50 के अधीन उद्दीपित प्रत्यय संव्यवहार			
4.	धारा 66 के अधीन कपटपूर्ण संव्यवहार			

15. मैं..... (समाधान व्यावसायिक का नाम) प्रमाणित करता हूं कि इस प्रमाणपत्र की अंतर्वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इनमें से कुछ भी तात्विक छिपाया नहीं गया है ।

(हस्ताक्षर)

समाधान व्यावसायिक का नाम:

आई.पी. रजिस्ट्रीकरण सं.

तारीख: बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत पता:

स्थान: बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत ईमेल आई.डी.:

ए.ए.:न्यायनिर्णायक प्राधिकारी; समिति: लेनदारों की समिति;आई.एफ.आर.पी.: समाधान योजना के लिए आमंत्रण; आई.एम.: सूचना ज्ञापन; पी.पी.आई.आर.पी.: पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया; आर.ए.:समाधान आवेदक;आर.पी.: समाधान व्यावसायिक

प्ररूप पी13

पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया के पर्यवसान के लिए आवेदन

[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2021 के विनियम 49(4) के अधीन]

[तारीख]

IndiaCode

सेवा में,

न्यायनिर्णायक प्राधिकारी

[न्यायपीठ]

प्रेषक

[दिवाला व्यावसायिक का नाम]

[दिवाला व्यावसायिक का रजिस्ट्रीकरण संख्यांक]

[दिवाला व्यावसायिक का रजिस्ट्रीकृत पता]

.....[कारपोरेट ऋणी का नाम] के मामले में

विषय: [कारपोरेट ऋणी का नाम] की पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया का पर्यवसान

महोदय/महोदया

[कारपोरेट ऋणी का नाम] ने दिवाला समाधान और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 54ग के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष एक आवेदन [आवेदन की विशिष्टियां] जिसका डायरी संख्यांक/मामला संख्यांक_____ है तारीख_____ को फाइल किया था । उक्त आवेदन, जिसका मामला संख्यांक_____ है, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा [तारीख] को ग्रहण कर लिया था ।

2. लेनदारों की समिति ने _____ को आयोजित बैठक में [कारपोरेट ऋणी का नाम] द्वारा धारा 54ढ की उपधारा (2) के अधीन फाइल की गई ऊपर उल्लिखित पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया का पर्यवसान करने के विनिश्चय किया है ।

या

धारा 54घ की उपधारा (3) के अधीन समाधान योजना के अनुमोदन के लिए अनुज्ञात अवधि के भीतर कोई समाधान योजना प्रस्तुत नहीं की गई थी ।

या

धारा 54ट की उपधारा (11) के अधीन चयनित समाधान योजना का धारा 54ट की उपधारा (12) के अधीन लेनदारों की समिति द्वारा अनुमोदन नहीं किया गया है ।

[उस भाग को काट दीजिए जो सुसंगत नहीं है]

3. मैं पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया के पर्यवसान की रिपोर्ट संलग्न करता हूं ।

(हस्ताक्षर)

समाधान व्यावसायिक का नाम:

आई.पी. रजिस्ट्रीकरण सं.

तारीख: बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत पता:

स्थान: बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत ईमेल आई.डी.:

प्ररूप पी14

प्रबंधतंत्र समाधान व्यावसायिक में निहित करने के लिए आवेदन

[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2021 के विनियम 51) के अधीन]

[तारीख]

सेवा में,

न्यायनिर्णायक प्राधिकारी

[न्यायपीठ]

प्रेषक

[दिवाला व्यावसायिक का नाम]

[दिवाला व्यावसायिक का रजिस्ट्रीकरण संख्यांक]

[दिवाला व्यावसायिक का रजिस्ट्रीकृत पता]

.....[कारपोरेट ऋणी का नाम] के मामले में

विषय: [कारपोरेट ऋणी का नाम] के प्रबंधतंत्र का समाधान व्यावसायिक में निहित करना ।

महोदय/महोदया,

[कारपोरेट ऋणी का नाम] ने दिवाला समाधान और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 54ग के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष एक आवेदन [आवेदन की विशिष्टियां] जिसका डायरी संख्यांक/मामला संख्यांक_____ है तारीख_____ को फाइल किया था । उक्त आवेदन, जिसका मामला संख्यांक_____ है, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा [तारीख] को ग्रहण कर लिया था ।

2. लेनदारों की समिति ने _____ को आयोजित बैठक में [कारपोरेट ऋणी का नाम] के प्रबंधतंत्र को निम्नलिखित कारणों से धारा 54ञ के अधीन समाधान व्यावसायिक में निहित करने का विनिश्चय किया है:

क.

ख.

IndiaCode

3. मैं ---------- को आयोजित लेनदारों की समिति की बैठक के कार्यवृत्त संलग्न करता हूं ।

(हस्ताक्षर)

समाधान व्यावसायिक का नाम:

आई.पी. रजिस्ट्रीकरण सं.

तारीख: बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत पता:

स्थान: बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत ईमेल आई.डी.:

डॉ. एम. एस. साहू, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./16/2021-22]

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th April, 2021

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA (PRE-PACKAGED INSOLVENCY RESOLUTION PROCESS) REGULATIONS, 2021

No. IBBI/2021-22/GN/REG071.—In exercise of the powers conferred under sections 196, 208 and 240 read with provisions of Chapter III-A of Part II of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following Regulations, namely:-

IndiaCode

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement.

(1) These Regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Pre-packaged Insolvency Resolution Process) Regulations, 2021.

(2) These Regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.

(1) In these Regulations, unless the context otherwise requires,-

(a) "applicant" means the corporate applicant, filing an application for initiation of pre-packaged insolvency resolution process under section 54C;

(b) "class of creditors" means a class with at least ten financial creditors under clause (b) of sub-section (6A) of section 21 and the expression, "creditors in a class" shall be construed accordingly;

(c) "Code" means the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016;

(d) "committee" means the committee of creditors constituted under section 54I;

(e) "electronic form" shall have the meaning assigned to it in the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000);

(f) "electronic means" means an authorised and secured computer programme which is capable of producing confirmation of sending communication to the participant entitled to receive such communication at the latest electronic mail address as made available by such participant and keeping record of such communication;

(g) "fair value" means the estimated realisable value of the assets of the corporate debtor, if they were to be exchanged on the pre-packaged insolvency commencement date between a willing buyer and a willing seller in an arm's length transaction, after proper marketing and where the parties had acted knowledgeably, prudently and without compulsion;

(h) "Form" means a Form specified in the Schedule;

(i) "identification number" means the limited liability partnership identification number or the corporate identity number, as the case may be;

(j) "insolvency professional entity" means an entity recognised as such under the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) Regulations, 2016;

(k) "liquidation value" means the estimated realisable value of the assets of the corporate debtor, if it were to be liquidated on the pre-packaged insolvency commencement date;

(l) "participant" means a person entitled to attend the meeting of the committee under section 24 or any other person authorised by the committee to attend the meeting;

(m) "process" means pre-packaged insolvency resolution process for corporate debtors under Chapter III-A of Part II of the Code;

(n) "registered valuer" means a person registered as such in accordance with the Companies Act, 2013 (18 of 2013) and the rules made thereunder;

(o) "Schedule" means the schedule to these Regulations;

(p) "section" means section of the Code;

(q) "video conferencing or other audio and visual means" means such audio and visual facility which enables the participants in a meeting to communicate concurrently with one another and to participate effectively in the meeting.

(2) Unless the context otherwise requires, words and expressions used and not defined in these Regulations, but defined in the Code, shall have the meanings respectively assigned to them in the Code.

IndiaCode

CHAPTER II

GENERAL

3. Meetings and communication.

(1) The meetings required under these Regulations may be held either in physical or electronic mode or in a combination of both.

(2) All communications required under these Regulations shall be made by electronic means as far as possible.

4. Essential supplies.

The essential goods and services referred to in sub-section (2) of section 14 shall mean-

(a) electricity;

(b) water;

(c) telecommunication services; and

(d) information technology services,

to the extent these are not a direct input to the output produced or supplied by the corporate debtor.

Explanation.- Water supplied to a corporate debtor will be essential supplies for drinking and

sanitation purposes, and not for generation of hydro-electricity.

5. Extortionate credit transaction.

A transaction shall be considered extortionate under sub-section (2) of section 50 where the terms-

(a) require the corporate debtor to make exorbitant payments in respect of the credit provided; or

(b) are unconscionable under the principles of law relating to contracts.

6. Pre-packaged insolvency resolution process costs.

For the purposes of sub-clause (e) of clause (23C) of section 5, pre-packaged insolvency resolution process costs shall mean-

(a) fee payable to authorised representative under sub-regulation (5) of regulation 34;

(b) out of pocket expenses of authorised representative for discharge of his functions under section 25A; and

(c) any other cost directly relating to the process and approved by the committee.

CHAPTER III

RESOLUTION PROFESSIONAL

7. Eligibility for resolution professional.

(1) Subject to consent in Form P1, an insolvency professional shall be eligible to be appointed as an interim resolution professional or resolution professional, as the case may, if he, and all partners and directors of the insolvency professional entity of which he is a partner or director, are independent of the corporate debtor.

Explanation.- A person shall be considered independent of the corporate debtor, if he-

(a) is eligible to be appointed as an independent director on the board of the corporate debtor under section 149 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), where the corporate debtor is a company;

(b) is not a related party of the corporate debtor; or

(c) is not an employee or proprietor or a partner-

(i) of a firm of auditors or secretarial auditors or cost auditors of the corporate debtor; or

(ii) of a legal or a consulting firm, that has or had any transaction with the corporate debtor amounting to five per cent. or more of the gross turnover of such firm,

in any of the preceding three financial years.

(2) A resolution professional, who is a director or a partner of an insolvency professional entity, shall be ineligible to continue as a resolution professional in a process, if the insolvency professional entity or any partner or director of such insolvency professional entity represents any of the stakeholders in the same process.

8. Fee of resolution professional.

(1) Where the corporate debtor fails to file an application or the application for initiation of the process is rejected, the fee payable to the resolution professional for performing duties under sub-section (3) of section 54B shall be borne by the corporate debtor.

(2) The corporate debtor shall maintain a separate bank account with such amount as may be advised by the committee from time to time and, subject to provisions of clause (23C) of section 5, such account shall be operated by the resolution professional to meet his fee and expenses incurred by him for conducting the process.

9. Access to books.

The resolution professional may access the books of account, records, and other documents to the extent relevant for discharging his duties under the Code, of the corporate debtor held with-

(a) members, promoters, partners, directors and joint venture partners of the corporate debtor;

(b) professionals and advisors engaged by the corporate debtor;

(c) depositories of securities;

(d) registries that records the ownership of assets; and

(e) contractual counterparties of the corporate debtor.

10. Appointment of professionals.

The resolution professional may appoint a professional under clause (e) of sub-section (3) of section 54F:

Provided that the following persons shall not be appointed as a professional, namely:-

(a) a person who is not registered with the regulator of the profession concerned;

(b) a related party of the corporate debtor;

(c) an auditor of the corporate debtor at any time during the five years preceding the pre-packaged insolvency commencement date;

(d) a partner or director of the insolvency professional entity of which the resolution professional is a partner or director; or

(e) a relative of the resolution professional or of a partner or director of the insolvency professional entity of which the resolution professional is a partner or director.

11. Disclosure of costs.

(1) A resolution professional shall make disclosures at the time of his appointment and, thereafter, in accordance with the code of conduct as set out in the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) Regulations, 2016.

(2) The resolution professional shall disclose item wise process costs in such manner as may be required by the Board.

12. Preservation of records.

The resolution professional shall preserve a physical as well as an electronic copy of the records relating to the process of the corporate debtor as per the record retention schedule, as may be required by the Board in consultation with insolvency professional agencies.

13. Filing of reports and forms.

The resolution professional shall file such forms, along with enclosures thereto, on an electronic platform, as may be required by the Board in consultation with insolvency professional agencies.

CHAPTER IV

INITIATION OF PROCESS

14. Approvals by financial creditors.

(1) For the purposes of clause (e) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 54A, the applicant shall convene meetings of the financial creditors, who are not related parties of the corporate debtor.

(2) The notice of the meeting under sub-regulation (1) shall be served to the financial creditors, who are not related parties of the corporate debtor, at least five days before the date of the meeting, unless a shorter time is agreed to by all of them.

(3) The notice of the meeting under this regulation shall indicate the date, time and venue of the meeting, and enclose a list of creditors along with the amount due to them in Form P2.

(4) The financial creditors who are not related parties of the corporate debtor and have not less than ten per cent. of the value of the total financial debt of such creditors may propose names of insolvency professionals for the purposes of clause (e) of sub-section (2) of section 54A.

(5) The approval of the terms of appointment of resolution professional under clause (e) of sub-section (2) of section 54A shall be in Form P3.

(6) The terms of appointment of the resolution professional under this regulation shall include -

(a) fee payable to him for performing duties under sub-section (1) of section 54B;

(b) fee payable to him and expenses to be incurred by him for conducting the process; and

(c) fee payable to him and expenses to be incurred by him in case management of the corporate debtor is vested with him under section 54J.

(7) The approval for filing of application under sub-section (3) of section 54A shall be in Form P4.

(8) Where the corporate debtor has no financial debt or where all financial creditors are related parties, the applicant shall convene a meeting of operational creditors, who are not related parties of the corporate debtor and provisions of sub-regulations (1) to (7) shall *mutatis mutandis* apply.

15. Choice of authorised representative.

On examination of Form P2, the resolution professional shall-

(i) ascertain class(es) of creditors, if any;

(ii) for representation of creditors in a class ascertained under sub-regulation (1) in the committee, identify three insolvency professionals who are-

(a) not relatives or related parties of the applicant or the resolution professional;

(b) having their addresses, as registered with the Board, in the State or Union territory, as the case may be, which has the highest number of creditors in the class as per their addresses in the records of the corporate debtor:

Provided that where such State or Union territory does not have adequate number of insolvency professionals, the insolvency professionals having addresses in a nearby State or Union territory, as the case may be, shall be considered;

(c) eligible to be appointed under regulation 7; and

(d) willing to act as authorised representative of creditors in the class;

(iii) obtain the consent of the insolvency professionals identified under sub-regulation (2) to act as the authorised representative of creditors in the class in Form P5;

(iv) seek choice of the creditors in the class for an insolvency professional, who has consented under sub-regulation (3):

Provided that the creditors shall communicate their choice to the resolution professional

within three days;

(v) select the insolvency professional, who is the choice of the highest number of creditors in the class to act as the authorised representative of the creditors of the respective class.

(vi) inform the name of the insolvency professional selected under sub-regulation (5), along with his consent in Form P5, to the applicant.

16. Declarations.

(1) The declaration under clause (f) of sub-section (2) of section 54A shall be made in Form P6.

(2) The declaration under clause (c) of sub-section (3) of section 54C shall be made in Form P7.

17. Report by resolution professional.

The report under clause (a) of sub-section (1) of section 54B shall be prepared in Form P8.

18. Information to be furnished by the applicant.

For the purposes of clause (d) of sub-section (3) of section 54C, the applicant shall furnish-

(a) audited financial statements of the corporate debtor for the last two financial years;

(b) provisional financial statements for the current financial year made up to the date of declaration under clause (f) of sub-section (2) of section 54A; and

(c) Form P5 submitted by the authorised representatives selected under sub-regulation (5) of regulation 15.

IndiaCode

CHAPTER V

PUBLIC ANNOUNCEMENT AND CLAIMS

19. Public announcement.

(1) The resolution professional shall make a public announcement within two days of the commencement of the process.

(2) The public announcement referred to in sub-regulation (1) shall be-

(a) in Form P9;

(b) sent to every creditor listed in Form P2;

(c) sent to information utilities; and

(d) published on the website, if any, of the corporate debtor and the Board.

20. List of claims

(1) The corporate debtor shall submit a list of claims under sub-section (1) of section 54G in Form P10 to the resolution professional.

(2) Based on the records of the corporate debtor and other relevant material available on record, the resolution professional shall confirm the details received in Form P10.

(3) The resolution professional shall inform every creditor regarding its claims, as confirmed by him, and seek objections, if any.

(4) A creditor may submit objection along with supporting documents to the resolution professional within seven days from the receipt of communication under sub-regulation (3).

(5) The resolution professional may call for such other evidence or clarification as he deems fit from a creditor for substantiating the whole or part of its claim.

(6) The resolution professional shall consider every objection received under sub-regulation (4) and modify the claim of the creditor, if required.

(7) A creditor shall update its claim, as and when the claim is satisfied, partly or fully, from any source in any manner, after the pre-packaged insolvency commencement date.

(8) The resolution professional shall maintain a list of claims in Form P10 and update it as and when required.

(9) Form P10 shall be –

(a) available for inspection by the creditors, members, partners, directors and guarantors of the corporate debtor;

(b) displayed on the website, if any, of the corporate debtor;

(c) filed with the Board on electronic platform; and

(d) presented at the meetings of the committee, as and when updated.

21. Determination of amount of claim.

(1) Where the amount of claim of a creditor is not precise due to any contingency or other reason, the resolution professional shall make the best estimate of the amount of the claim based on the information available with him.

(2) The resolution professional shall revise the amount of claims confirmed, including the estimates of claims made under sub-regulation (1), as soon as may be practicable, when he comes across additional information warranting such revision.

22. Debt in foreign currency.

The claims denominated in foreign currency shall be valued in Indian currency at the official exchange rate as on the pre-packaged insolvency commencement date.

Explanation.- "official exchange rate" is the reference rate published by the Reserve Bank of India or derived from such reference rates.

23. Transfer of debt due to creditors.

Where a creditor assigns or transfers the debt due to such creditor to any other person during the process period, both parties shall provide the resolution professional, the terms of such assignment or transfer and the identity of the assignee or transferee for updation under sub-regulation (8) of regulation 20.

CHAPTER VI

COMMITTEE OF CREDITORS

24. Committee with only creditors in a class.

Where the corporate debtor has only creditors in a class and no other financial creditor who are not related parties of the corporate debtor, the committee shall consist of only the authorised representative(s).

25. Committee with only operational creditors.

(1) Where the corporate debtor has no financial debt or all financial creditors are related parties, the committee shall consist of operational creditors, being not related to the corporate debtor, as under:-

(a) ten largest operational creditors by value, and if the number of operational creditors is less than ten, the committee shall include all such operational creditors;

(b) one representative elected by all workmen other than those workmen included under clause (a); and

(c) one representative elected by all employees other than those employees included under clause(a).

(2) A member of the committee formed under this regulation shall have voting rights in proportion of the debt due to such creditor or debt represented by such representative, as the case may be, to the total debt.

Explanation.– For the purposes of this sub-regulation, 'total debt' is the sum of-

(a) the amount of debt due to the creditors listed in clause (a) of sub-regulation (1);

(b) the amount of the aggregate debt due to workmen under clause (b) of sub-regulation (1); and

(c) the amount of the aggregate debt due to employees under clause (c) of sub-regulation (1).

IndiaCode

(3) A committee formed in accordance with regulation 24 or regulation 25, as the case may be, and its members shall have the same rights, powers, duties and obligations as a committee comprising financial creditors and its members.

26. Change in committee.

Any change in the composition of committee of creditors shall be intimated to all the members of the committee within two days of such change.

CHAPTER VII

MEETINGS OF THE COMMITTEE

27. Meetings of the committee.

(1) A resolution professional may convene a meeting of the committee as and when he considers necessary.

(2) A resolution professional shall convene a meeting, if a request to that effect is made by members of the committee representing thirty-three per cent of voting share.

28. Notice for meetings of the committee.

(1) A meeting of the committee shall be convened by giving not less than three days' notice in writing to every participant, at the address provided to the resolution professional by the creditor.

(2) The committee may reduce the notice period from three days to such other period of not less than twenty-four hours, as it deems fit:

Provided that the committee may reduce the period to such other period of not less than forty-eight hours if there is any authorised representative in the committee.

29. Service of notice.

(1) A notice may be sent to the participants through e-mail as a text or as an attachment to e-mail or as a notification providing electronic link or Uniform Resource Locator for accessing such notice.

(2) The subject line in e-mail shall state the name of the corporate debtor, the place, if any, the time and the date on which the meeting is scheduled.

(3) When notice is sent in the form of a non-editable attachment to an e-mail, such attachment shall be in the Portable Document Format or in a non-editable format together with a 'link or instructions' for recipient for downloading relevant version of the software.

(4) When notice or notifications of availability of notice are sent by an e-mail, the resolution professional shall ensure that it uses a system which produces confirmation of the total number of recipients e-mailed and a record of each recipient to whom the notice has been sent and copy of such record and any notices of any failed transmissions and subsequent re-sending shall be retained as 'proof of sending'.

(5) The obligation of the resolution professional shall be satisfied when he transmits the e-mail and he shall not be held responsible for a failure in transmission beyond his control.

(6) The notice made available on the electronic link or Uniform Resource Locator shall be readable, and the recipient should be able to obtain and retain copies and the resolution professional shall give the complete Uniform Resource Locator or address of the website and full details of how to access the document or information.

(7) If a participant fails to provide or update the relevant e-mail address to the resolution professional, the non-receipt of such notice by such participant of any meeting shall not invalidate the decisions taken at such meeting.

30. Contents of the notice for meeting.

(1) The notice shall inform the participants of the venue, the time and date of the meeting and of the option available to them to participate through video conferencing or other audio and visual means and shall also provide all the necessary information to enable participation through video conferencing or other audio and visual means.

(2) The notice of the meeting shall provide that a participant may attend and vote in the meeting either in person or through a representative, who is not a related party of the corporate debtor:

Provided that such participant shall inform the resolution professional, in advance of the meeting, of the identity of the representative who will attend and vote at the meeting on its behalf and shall forward an authorisation in favour of the representative.

IndiaCode

(3) The notice of the meeting shall contain the following:-

(a) a list of the matters to be discussed at the meeting;

(b) a list of the issues to be voted upon at the meeting; and

(c) copies of all documents relevant to the matters to be discussed and the issues to be voted upon at the meeting.

(4) The notice of the meeting shall-

(a) state the process and manner for voting by electronic means and the time schedule, including the time period during which the votes may be cast;

(b) provide the login ID and the details of a facility for generating password and for keeping security and casting of vote in a secure manner; and

(c) provide contact details of the person who will address the queries connected with the electronic voting.

31. Quorum.

(1) A meeting of the committee shall quorate if members of the committee representing at least thirty three percent of the voting share are present either in person or by video conferencing or other audio and visual means:

Provided that the committee may modify the percentage of voting share required for quorum in respect of any future meetings of the committee.

(2) Where a meeting of the committee could not be held for want of quorum, unless the committee has previously decided otherwise, the meeting shall automatically stand adjourned at the same time and place on the next day.

(3) In the event a meeting of the committee is adjourned in accordance with sub-regulation (2), the adjourned meeting shall quorate with the members of the committee attending the meeting.

32. Participation through video conferencing.

(1) The notice convening the meetings of the committee shall provide the participants an option to attend the meeting through video conferencing or other audio and visual means in accordance with this Regulation.

(2) The resolution professional shall make necessary arrangements to ensure uninterrupted and clear video or audio and visual connection.

(3) The resolution professional shall take due and reasonable care-

(a) to safeguard the integrity of the meeting by ensuring sufficient security and identification procedures;

(b) to ensure availability of proper video conferencing or other audio and visual equipment or facilities for providing transmission of the communications for effective participation of the participants at the meeting;

(c) to record proceedings and prepare the minutes of the meeting;

(d) to store for safe keeping and marking the physical recording(s) or other electronic recording mechanism as part of the records of the corporate debtor; and

(e) to ensure that no person other than the intended participants attends or has access to the proceedings of the meeting through video conferencing or other audio and visual means:

Provided that the persons, who are differently abled, may make a request to the resolution professional to allow a person to accompany them at the meeting.

(4) Where a meeting is conducted through video conferencing or other audio and visual means, the scheduled venue of the meeting as set forth in the notice convening the meeting, which shall be in India, shall be deemed to be the place of the said meeting and all recordings of the proceedings at the meeting shall be deemed to be made at such place.

33. Conduct of meeting.

(1) The resolution professional shall act as the chairperson of meetings of the committee.

(2) At the commencement of a meeting, the resolution professional shall take a roll call of every participant attending the meeting at the venue or participating through video conferencing or other audio and visual means and shall state, for record, the following: -

(a) his name;

(b) whether he is attending in the capacity of a member of the committee or any other participant;

(c) whether he is representing a member or group of members;

(d) the location from where he is participating;

(e) that he has received the agenda and all the relevant material for the meeting; and

(f) that no one other than him is attending or has access to the proceedings of the meeting at the location of that person.

(3) After the roll call, the resolution professional shall inform the participants of the names of all persons who are present for the meeting and confirm if the required quorum is complete.

(4) The resolution professional shall ensure that the required quorum is present throughout the meeting.

(5) From the commencement of the meeting till its conclusion, no person other than the participants and any other person whose presence is required by the resolution professional shall be allowed access to the place where meeting is held or to the video conferencing or other audio and visual facility.

(6) The resolution professional shall ensure that minutes are made in relation to each meeting of the committee and such minutes shall disclose the particulars of the participants who attended the meeting in person, through video conferencing, or other audio and visual means.

34. Committee with creditors in a class.

(1) The resolution professional shall provide the list of creditors in each class to the respective authorised representative within three days of the commencement of the process.

(2) The resolution professional shall provide an updated list of creditors in each class to the respective authorised representative as and when the list is updated.

Clarification.- The authorised representative shall have no role in receipt or confirmation of claims of creditors of the class he represents.

(3) The resolution professional shall provide electronic means of communication between the authorised representative and the creditors in the class.

(4) The voting share of a creditor in a class shall be in proportion to the financial debt which includes an interest at the rate of eight per cent per annum unless a different rate has been agreed to between the parties.

(5) The authorised representative of creditors in a class shall be entitled to receive fee for every meeting of the committee attended by him in the following manner, namely:-

Number of creditors in the class	Fee per meeting of the committee (Rs.)
10-100	15,000
101-1000	20,000
More than 1000	25,000

(6) The authorised representative shall circulate the agenda to creditors in a class and may seek their preliminary views on any item in the agenda to enable him to effectively participate in the meeting of the committee:

Provided that creditors shall have a time window of at least twelve hours to submit their preliminary views, and the said window opens at least twenty-four hours after the authorised representative seeks preliminary views:

Provided further that such preliminary views shall not be considered as voting instructions by the creditors.

35. **Voting by the committee.**

(1) Any action requiring approval of the committee shall be considered in the meetings of the committee.

(2) The resolution professional shall take a vote of the members of the committee present in the meeting, on any item listed for voting after discussion on the same.

(3) At the conclusion of a vote at the meeting, the resolution professional shall announce the decision taken by the members present in the meeting, on items along with the names of the members of the committee who voted for or against the decision or abstained from voting.

(4) The resolution professional shall-

(a) circulate the minutes of the meeting by electronic means to all members of the committee and authorised representative, within twenty-four hours of the conclusion of the meeting; and

(b) seek a vote of the members who did not vote at the meeting on the matters listed for voting, by electronic voting system in accordance with regulation 37 where the voting shall be kept open for at least twenty-four hours from the circulation of the minutes.

(5) The authorised representative shall circulate the minutes of the meeting received under sub-regulation (4) to creditors in a class and announce the voting window at least twenty-four hours before the window opens for voting instructions and keep the voting window open for at least twelve hours.

36. Voting by authorised representative.

The authorised representative, if any, shall cast his vote in respect of each financial creditor or on behalf of all financial creditors he represents in accordance with the provisions of sub-section (3) or sub-section (3A) of section 25A, as the case may be.

37. Voting through electronic means.

(1) The resolution professional shall provide each member of the committee the means to exercise its vote by either electronic means or through electronic voting system in accordance with the provisions of this regulation.

Explanation.- For the purposes of these Regulations,-

(a) the expressions ‘‘voting by electronic means’’ or ‘‘electronic voting system’’ means a “secured system” based process of display of electronic ballots, recording of votes of the members of the committee and the number of votes polled in favour or against, such that the voting exercised by way of electronic means gets registered and counted in an electronic registry in a centralised server with adequate cyber security;

(b) the expression ‘‘secured system’’ means computer hardware, software, and procedure that–

(i) are reasonably secure from unauthorised access and misuse;

(ii) provide a reasonable level of reliability and correct operation;

(iii) are reasonably suited to perform the intended functions; and

(iv) adhere to generally accepted security procedures.

(2) At the end of the voting period, the voting portal shall forthwith be blocked.

(3) At the conclusion of a vote held under this regulation, the resolution professional shall announce and make a written record of the summary of the decision taken on a relevant agenda item along with the names of the members of the committee who voted for or against the decision or abstained from voting.

(4) The resolution professional shall circulate a copy of the record made under sub-regulation (3) to all participants by electronic means within twenty-four hours of the conclusion of the voting.

CHAPTER VIII

VALUATION AND INFORMATION MEMORANDUM

38. Appointment of registered valuers.

The resolution professional shall within three days of his appointment, appoint two registered valuers to determine the fair value and the liquidation value of the corporate debtor:

Provided that the following persons shall not be appointed as registered valuers, namely:-

(a) a related party of the corporate debtor;

(b) an auditor of the corporate debtor at any time during the five years preceding the pre-packaged insolvency commencement date;

(c) a partner or director of the insolvency professional entity of which the resolution professional is a partner or director; or

(d) a relative of the resolution professional or of a partner or director of the insolvency professional entity of which the resolution professional is a partner or director.

39. Fair value and liquidation value.

(1) Fair value and liquidation value shall be determined in the following manner:-

(a) the registered valuers appointed under regulation 38 shall submit to the resolution professional an estimate of the fair value and of the liquidation value computed in accordance with internationally accepted valuation standards, after physical verification of the inventory and fixed assets of the corporate debtor;

IndiaCode

(b) the average of the value determined by the two registered valuers shall be considered the fair value or the liquidation value, as the case maybe.

(2) After the receipt of resolution plans in accordance with the Code and these Regulations, the resolution professional shall provide the fair value and the liquidation value to every member of the committee in electronic form, on receiving an undertaking from the member to the effect that such member shall maintain confidentiality of the fair value and the liquidation value and shall not use such values to cause an undue gain or undue loss to itself or any other person.

(3) The resolution professional and registered valuers shall maintain confidentiality of the fair value and the liquidation value.

40. Information memorandum.

(1) The preliminary information memorandum shall provide details required under sub-regulation (2).

(2) The information memorandum shall contain the following details of the corporate debtor: -

(a) assets and liabilities with such description, as are generally necessary for ascertaining their values.

Explanation.- 'Description' includes the details such as date of acquisition, cost of acquisition, remaining useful life, identification number, depreciation charged, book value, and any other relevant details;

(b) the latest annual financial statements;

(c) audited financial statements of the corporate debtor for the last two financial years and provisional financial statements for the current financial year.

(d) a list of claims containing the names of creditors, the amounts of their claims and the security interest, if any, in respect of such claims;

(e) particulars of a debt due from or to the corporate debtor with respect to related parties;

(f) details of guarantees that have been given in relation to the debts of the corporate debtor by other persons, specifying which of the guarantors is a related party;

(g) the names and addresses of the members or partners holding at least one per cent stake in the corporate debtor along with the size of stake;

(h) details of all material litigation and an ongoing investigation or proceeding initiated by Government and statutory authorities;

(i) the number of workers and employees and liabilities of the corporate debtor towards them; and

(j) other information, which the corporate debtor or resolution professional deems relevant to the committee.

(3) The resolution professional shall finalise the information memorandum with details under sub-regulation (2) and submit to members of the committee within fourteen days of the pre-packaged insolvency commencement after receiving an undertaking from a member of the committee to the effect that such member or resolution applicant shall maintain confidentiality of the information and shall not use such information to cause an undue gain or undue loss to itself or any other person.

(4) A member of the committee may request the resolution professional or corporate debtor for further information of the nature described in this regulation and the resolution professional or the corporate debtor, as the case may be, shall provide such information to all members within reasonable time if such information has a bearing on the resolution plan.

41. Preferential and other transactions.

(1) On or before the thirtieth day of the pre-packaged insolvency commencement date, the resolution professional shall form an opinion whether the corporate debtor has been subjected to any transaction covered under sections 43, 45, 50 or 66.

(2) Where the resolution professional is of the opinion that the corporate debtor has been subjected to any transactions covered under sections 43, 45, 50 or 66, he shall make a determination on or before the forty-fifth day of the pre-packaged insolvency commencement date, under intimation to the Board.

(3) Where the resolution professional makes a determination under sub-regulation (2), he shall apply to the Adjudicating Authority for appropriate relief on or before the sixtieth day of the pre-packaged insolvency commencement date.

IndiaCode

CHAPTER IX

RESOLUTION PLAN

42. Scoring and improvement of resolution plans.

For the purposes of consideration of resolution plans,-

(i) "basis for evaluation", includes the parameters to be applied and the manner of applying such parameters, as approved by the committee, for evaluating a resolution plan to assign a score to the plan, and disclosed in the invitation for resolution plans.

Illustration 1

The committee may identify three parameters, namely, X, Y and Z for evaluation of resolution plans. It may apply these parameters in the form of a formula, namely, 1.5 X + 2 Y + 2.5 Z. Where the values of X, Y and Z are 20, 25, and 30 respectively, the score of the resolution plan is 1.5 (20) + 2 (25) + 2.5 (30) = 155.

Illustration 2

The committee may identify three parameters, namely, X, Y and Z for evaluation of resolution plans. It may apply these parameters in the form of a formula, namely, 1.5 X + 2 Y + 2.5 Z, subject to X being not less than 20. Where the values of X, Y and Z are 20, 25, and 30 respectively, the score of the resolution plan is 1.5 (20) + 2 (25) + 2.5 (30) = 155. It may apply these parameters in the form of a formula, namely, 2 Y + 2.5 Z, subject to X being not less than 20. Where the values of X, Y and Z are 20, 25, and 30 respectively, the score of the resolution plan is 2 (25) + 2.5 (30) = 125. Where the values of X, Y and Z are 15, 40, and 50 respectively, the resolution plan does not meet the minimum value of X and hence this plan will not be evaluated;

(ii) "significantly better" in relation to resolution plan, means that the score of the resolution plan is higher than that of another resolution plan by a certain number or percentage, as approved by the committee and disclosed in the invitation for resolution plans.

Illustration 1

The committee may consider a resolution plan to be significantly better than another resolution plan, if the score of the former is higher than that of the latter by 10. Where resolution plans 'A' and 'B' have scores of 100 and 110 respectively, 'B' is significantly better than 'A'. Where resolution plans 'A' and 'B' have scores of 100 and 108 respectively, 'B' is not significantly better than 'A'.

Illustration 2

The committee may consider a resolution plan to be significantly better than another resolution plan, if the score of the former is higher than that of the latter by 5 per cent. Where resolution plans 'A' and 'B' have scores of 100 and 107 respectively, 'B' is significantly better than 'A'. Where resolution plans 'A' and 'B' have scores of 100 and 104 respectively, 'B' is not significantly better than 'A'.

(iii) "tick size" means minimum improvement over another resolution plan in terms of score, as approved by the committee and disclosed in the invitation for resolution plans.

Illustration 1

On the basis for evaluation, resolution plans 'A' and 'B' have scores of 105 and 108, respectively. Resolution applicant of 'A' may wish to improve 'A' over 'B'. It must improve 'A' such that the score of 'A' exceeds that of 'B' at least by tick size. If tick size is 5, resolution applicant of 'A' must improve 'A' such that the score of 'A' is at least 108 + 5 = 113.

Illustration 2

In the example under Illustration 1, if tick size is 5 per cent., resolution applicant of 'A' must improve 'A' such that the score of 'A' is at least 108 X 1.05 = 113.4.

43. Invitation for resolution plans.

(1) For the purposes of sub-section (5) of section 54K, the resolution professional shall publish brief particulars of the invitation for resolution plans in Form P11 not later than twenty-one days from the pre-packaged insolvency commencement date.

(2) The resolution professional shall publish Form P11-

(a) on the website, if any, of the corporate debtor;

(b) on the website, if any, designated by the Board for the purpose; and

(c) in any other manner as may be decided by the committee.

(3) The Form P11 shall –

(a) state where the invitation for resolution plans can be downloaded or obtained from, as the case may be; and

(b) provide the last date for submission of resolution plan which shall not be less than fifteen days from the date of issue of invitation for resolution plan under sub-regulation (2).

(4) The invitation for resolution plans shall-

(a) detail each step in the process, and the manner and purposes of interaction between the resolution professional and the resolution applicant, along with corresponding timelines;

(b) include-

(i) the basis for evaluation;

(ii) basis for considering a resolution plan significantly better than another resolution plan;

(iii) tick size; and

(iv) the manner of improving a resolution plan; and

(c) not require any non-refundable deposit for submission of or along with resolution plan.

(5) The resolution professional shall require the resolution applicant, in case its resolution plan is approved under sub-section (13) of section 54K, to provide a performance security within the time specified therein and such performance security shall stand forfeited if the resolution applicant of such plan, after its approval by the Adjudicating Authority, fails to implement or contributes to the failure of implementation of that plan in accordance with the terms of the plan and its implementation schedule.

Explanation 1.– For the purposes of this sub-regulation, "performance security" shall mean security of such nature, value, duration and source, as may be specified in the invitation for resolution plans with the approval of the committee, having regard to the nature of resolution plan and business of the corporate debtor.

Explanation 2.– A performance security may be specified in absolute terms such as guarantee from a bank for Rs. X for Y years or in relation to one or more variables such as the term of the resolution plan, amount payable to creditors under the resolution plan, etc.

44. Resolution plan.

A resolution plan shall provide for the measures, as may be necessary, for maximisation of value of its assets, including the following:-

(a) transfer of all or part of the assets of the corporate debtor to one or more persons;

(b) sale of all or part of the assets whether subject to any security interest or not;

(c) restructuring of the corporate debtor, by way of merger, amalgamation and demerger;

(d) the substantial acquisition of shares of the corporate debtor;

(e) cancellation or delisting of any shares of the corporate debtor, if applicable;

(f) satisfaction or modification of any security interest;

(g) curing or waiving of any breach of the terms of any debt due from the corporate debtor;

(h) reduction in the amount payable to the creditors;

(i) extension of a maturity date or a change in interest rate or other terms of a debt due from the corporate debtor;

(j) amendment of the constitutional documents of the corporate debtor;

(k) issuance of securities of the corporate debtor, for cash, property, securities, or in exchange for claims or interests, or other appropriate purpose;

(l) change in portfolio of goods or services produced or rendered by the corporate debtor;

(m) change in technology used by the corporate debtor; and

(n) obtaining necessary approvals from the Central and State Governments and other authorities.

45. Mandatory contents of resolution plan.

(1) A resolution plan shall include-

(a) an affidavit that resolution applicant is eligible to submit a resolution plan for resolution of the corporate debtor under the Code;

(b) a statement giving details if the resolution applicant or any of its related parties has failed to implement or contributed to the failure of implementation of any resolution plan approved by the Adjudicating Authority at any time in the past; and

(c) an undertaking that every information and records provided in connection with or in the resolution plan is true and correct and discovery of false information and record at any time will render the resolution applicant ineligible to participate in any resolution process under the Code.

(2) A resolution plan shall provide for-

(a) the term of the plan and its implementation schedule;

(b) the management and control of the business of the corporate debtor during its term; and

(c) adequate means for supervising its implementation.

(3) A resolution plan shall demonstrate that –

(a) it addresses the cause of default;

(b) it is feasible and viable;

(c) it has provisions for its effective implementation;

(d) it has provisions for approvals required and the timeline for the same; and

(e) the resolution applicant has the capability to implement the resolution plan.

(4) A resolution plan shall include a statement as to how it has dealt with the interests of all stakeholders, including financial creditors and operational creditors, of the corporate debtor.

(5) The amount payable under a resolution plan –

(a) to the operational creditors shall be paid in priority over financial creditors; and

(b) to the financial creditors, who have a right to vote under sub-section (2) of section 21 and did not vote in favour of the resolution plan, shall be paid in priority over financial creditors who voted in favour of the plan.

IndiaCode

46. Submission of resolution plans.

(1) A resolution applicant may submit resolution plan or plans prepared in accordance with the Code and these Regulations to the resolution professional through electronic means within the time given in the invitation for resolution plan.

(2) A resolution plan which does not comply with the provisions of sub-regulation (1) shall be rejected.

47. Evaluation of resolution plans.

(1) The resolution plans received under regulation 46, which comply with the requirements of the Code and these Regulations, shall be evaluated on the basis for evaluation.

(2) The resolution plan which gets the highest score under sub-regulation (1) shall be selected for competition with the base resolution plan.

48. Approval of resolution plan.

(1) The resolution plan selected under regulation 47 shall be considered by the committee for approval, if it is significantly better than the base resolution plan.

(2) Where no resolution plan is received under regulation 46, which complies with the requirements of the Code and these Regulations, the base resolution plan may be considered by the committee for approval.

(3) In cases not covered under sub-regulations (1) and (2), the resolution professional shall disclose the scores of the resolution plan selected under regulation 46 and the base resolution plan to submitters of these resolution plans and invite them to improve their resolution plans in accordance with sub-regulation (4).

(4) The submitter of the resolution plan under sub-regulation (3) shall have an option to improve its plan in the following manner:-

(a) The submitter of resolution plan, which has lower score, shall have an option to improve its resolution plan by at least a tick size;

(b) then the submitter of the other resolution plan shall have an option to improve its resolution plan by at least a tick size;

(c) then the submitter under clause (a) shall have an option to improve its resolution plan by at least a tick size;

(d) then the submitter under clause (b) shall have an option to improve its resolution plan by at least a tick size, and

the process of improvement shall continue till either of the submitters fails to use the option within the time specified in the invitation for resolution plans.

(5) The process under sub-regulations (3) and (4) shall be completed within a time-window of forty-eight hours.

(6) The resolution plan having higher score on completion of process of improvement under sub-regulation (4) shall be considered by the committee for approval.

49. Application to Adjudicating Authority.

(1) Where a resolution plan is approved by the committee, the resolution professional shall submit an application, along with a compliance certificate in Form P12, to the Adjudicating Authority for approval.

(2) The resolution professional shall forthwith send a copy of the order of the Adjudicating Authority approving or rejecting a resolution plan to the participants and the resolution applicant.

(3) The resolution professional shall, within seven days of the order of the Adjudicating Authority approving a resolution plan, intimate each claimant, the principle or formula, as the case may be, for payment of debts under such resolution plan.

(4) Where no resolution plan is approved by the committee or where the committee has approved the termination of process, the resolution professional shall file an application in Form P13 to the Adjudicating Authority for termination of process.

IndiaCode

CHAPTER X

MANAGEMENT OF AFFAIRS OF THE CORPORATE DEBTOR

50. Management during the process.

(1) The corporate debtor shall not manage the affairs of the corporate debtor in a manner prejudicial to the creditors of the corporate debtor or in a fraudulent manner.

(2) The corporate debtor shall not undertake any of the following actions without obtaining prior approval of the committee, namely:-

(a) transaction above a threshold as decided by the committee; and

(b) any other matter as decided by the committee and not covered under section 28.

(3) The corporate debtor in consultation with the resolution professional shall prepare a monthly report and forward it to the members of the committee with the following details:-

(a) details of legal proceedings having a material impact on the business of the corporate debtor;

(b) details of key contracts executed during the reporting period; and

(c) any other relevant matter(s) that may have a material impact on the business of the corporate debtor.

(4) The resolution professional may-

(a) call for information related to operations of the corporate debtor, including payments made;

(b) visit premise(s) of the corporate debtor;

(c) inspect the assets of the corporate debtor;

(d) call for information related to compliances applicable to the corporate debtor and its status;

(e) ask for details related to litigation initiated by or against corporate debtor; and

(f) ask details for ascertaining the conduct of corporate debtor during the process.

51. Vesting of the management with resolution professional.

For the purposes of sub-section (1) of section 54J, the resolution professional shall make an application in Form P14.

SCHEDULE

FORM P1

WRITTEN CONSENT

(Under regulation 7(1) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Pre-packaged Insolvency Resolution Process) Regulations, 2021)

[Date]

To

The Adjudicating Authority

[_____ Bench]

From

[Name of the insolvency professional]

[Registration number of the insolvency professional]

[Address of the insolvency professional registered with the Board]

Subject: Written consent in the matter of [name of corporate debtor]

1. I, [name], an insolvency professional enrolled with [name of insolvency professional agency] and registered with the Board. I have been proposed for appointment-

(i) as the interim resolution professional under section 54O of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 for corporate insolvency resolution process of [name of the corporate debtor].

OR

(ii) resolution professional under sections 54A or 27 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 for the pre-packaged insolvency resolution process of [name of the corporate debtor].

{strike off the part which is not relevant}

2. I hereby give consent to the proposed appointment.

3. I have the following processes in hand:-

Sl. No.	Role as	Number of processes on the date of consent
I	II	III
1	Interim Resolution Professional	
2	Resolution Professional in- a. Insolvency resolution processes for corporate persons b. Pre-packaged insolvency resolution processes c. Insolvency resolution processes for individuals	
3	Liquidator of- a. Liquidation Processes b. Voluntary Liquidation Processes	
4	Bankruptcy Trustee	
5	Authorised Representative	
6	Any other (Please state)	

4. I declare and affirm as under:-

a. I am not subject to any disciplinary proceeding initiated by the Board or the Insolvency Professional Agency.

b. I do not suffer from any disability to act as a resolution professional.

c. I am eligible to be appointed as interim resolution professional / resolution professional of the corporate debtor under regulation 7 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Pre-packaged Insolvency Resolution Process) Regulations, 2021 and other applicable provisions of the Code and the Regulations.

d. I shall make the disclosures in accordance with the code of conduct for insolvency professionals set out in the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) Regulations, 2016.

Date: Place:	(Signature of the insolvency professional) Registration No._____ Authorisation for assignment (AFA)No. _____ Date of expiry of AFA_____ (Name in block letters) (Name of insolvency professional entity, if applicable)

FORM P2

LIST OF CREDITORS OF [NAME OF CORPORATE DEBTOR]

(Under regulation 14 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Pre-packaged Insolvency Resolution Process) Regulations, 2021)

IndiaCode

AS ON [DATE]

(Amount in ₹)

List of financial creditors (unrelated)			
I	**II**	**III**	**IV**
Sl. No.	**Name of creditor**	**Amount of claim**	**% of claim**
1			
2			
3			
List of financial creditors (related)			
Sl. No.	**Name of creditor**	**Amount of claim**	**% of claim**
1			
2			
3			
List of operational creditors (unrelated)			
Sl. No.	**Name of creditor**	**Amount of claim**	**% of claim**
1			
2			
3			
List of operational creditors (related)			
Sl. No.	**Name of creditor**	**Amount of claim**	**% of claim**

1			
2			
3			
List of other creditors (unrelated)			
Sl. No.	**Name of creditor**	**Amount of claim**	**% of claim**
1			
2			
3			
List of other creditors (related)			
Sl. No.	**Name of creditor**	**Amount of claim**	**% of claim**
1			
2			
3			

[For Corporate Applicant]

(Signature)

Name of person submitting information

Relationship with corporate debtor

IndiaCode

FORM P3

APPROVAL OF TERMS OF APPOINTMENT OF RESOLUTION PROFESSIONAL

(Under regulation 14(5) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Pre-packaged Insolvency Resolution Process) Regulations, 2021)

1. The meeting of financial creditors, who are not related parties of the corporate debtor, was held on [date of meeting] at [time of meeting] at [venue of meeting] for proposing and approving the name of resolution professional for pre-packaged insolvency resolution process of [name of corporate debtor].

2. The list of creditors in Form P2 was provided with the notice of said meeting.

3. The details of creditor(s) present in the said meeting are enclosed as Annexure-A.

4. [Name of creditor(s)], having % of debt*, proposed the name of [name of proposed resolution professional], having registration number [registration number] for appointment as resolution professional for the pre-packaged insolvency resolution process of [name of corporate debtor].

5. The following creditor(s) have approved the appointment of [name of proposed resolution professional], having registration number [registration number] for appointment as resolution professional for the pre-packaged insolvency resolution process of [name of corporate debtor].

Sl. No.	**Name of creditor(s)**	**Amount of debt***	**Percentage of debt***	**Vote**		
				Assent	**Dissent**	**Abstain**
I	**II**	**III**	**IV**	**V**	**VI**	**VII**
1						
2						
3						
Total						

6. The above-mentioned creditor(s), also approved the following terms of appointment of the [name of proposed resolution professional]:-

Sl. No.	Particulars	Fee (Amount in ₹)	Remarks
I	II	III	IV
1	Fee payable to the resolution professional for performing duties under sub-section (1) of section 54B		
2	Fee payable to the resolution professional and expenses to be incurred by him for conducting the process under section 54F		
3	Fee payable to the resolution professional and expenses to be incurred by him in case management of the corporate debtor is vested with him under section 54J		

7. That [name of creditor], is duly authorised to sign this Form on behalf of all the / assenting creditor(s) mentioned in Table in para 5.

IndiaCode

[Name of creditor]

(Signature)

[NAME IN BLOCK LETTERS]

[Designation]

**Debt means aggregate financial debt owed to the financial creditors who are not related parties of the corporate debtor.*

(Please modify the form suitably where the creditors are operational creditor(s))

FORM P4

APPROVAL FOR INITIATING PRE-PACKAGED INSOLVENCY RESOLUTION PROCESS OF [NAME OF CORPORATE DEBTOR]

(Under regulation 14(7) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Pre-packaged Insolvency Resolution Process) Regulations, 2021)

1. The meeting of financial creditors, who are not related parties of the corporate debtor, was held on [date of meeting] at [time of meeting] at [venue of meeting] for approving the initiation of pre-packaged insolvency resolution process in respect of [Name of corporate debtor].

2. Following document(s) was/were enclosed with the notice of said meeting:-

a. list of creditors in Form P2;

b. copy of declaration by members/partners in Form P6;

c. copy of members' special resolution or partners' resolution, as the case may be;

d. base resolution plan; and

e. other relevant information or document, if any.

3. The details of creditor(s) present in the said meeting are enclosed herewith as Annexure-A.

4. The following creditor(s) have approved the initiation of pre-packaged insolvency resolution process in respect of [name of corporate debtor].

Sl. No.	Name of creditor(s)	Amount of debt*	Percent of debt*	Vote		
				Assent	Dissent	Abstain
I	II	III	IV	V	VI	VII
1						
2						
3						
Total						

5. That [name of creditor], is duly authorised to sign this Form on behalf of all the / assenting creditor(s) mentioned in Table above.

[Name of creditor]

Signature

[NAME IN BLOCK LETTERS]

[Designation]

IndiaCode

*Debt means aggregate financial debt owed to the financial creditors who are not related parties of the corporate debtor**.**

(Please modify the form suitably where the creditors are operational creditor(s))

FORM P5

WRITTEN CONSENT TO ACT AS AUTHORISED REPRESENTATIVE

(Under regulation 15(iii) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Pre-packaged Insolvency Resolution Process) Regulations, 2021)

From

[Name of the insolvency professional]

[Registration number of the insolvency professional]

[Registered address of the insolvency professional]

To

[Name of resolution professional], the resolution professional of pre-packaged insolvency resolution process of [name of corporate debtor]

Subject: Written Consent to act as an authorised representative.

1. I, [name], an insolvency professional enrolled with [name of insolvency professional agency] and registered with the Board, note that you have proposed to appoint me as the authorised representative of financial creditors in a class [specify class] in the pre-packaged insolvency resolution process of [name of the corporate debtor].

2. I hereby give my consent for the proposed appointment.

3. I am having the following processes in hand:-

Sl. No.	Role as	Number of processes on the date of consent
I	II	III
1	Interim Resolution Professional	
2	Resolution Professional in- a. Insolvency resolution processes for corporate persons b. Pre-packaged insolvency resolution processes c. Insolvency resolution processes for individuals	
3	Liquidator of- a. Liquidation Processes b. Voluntary Liquidation Processes	
4	Bankruptcy Trustee	
5	Authorised Representative	
6	Any other (Please state)	

IndiaCode

4. I declare and affirm as under:-

a. I am not subject to any disciplinary proceeding initiated by the Board or the Insolvency Professional Agency.

b. I do not suffer from any disability to act as an authorised representative.

c. I shall not canvass with the creditors to indicate their choice in my favour.

Date: Place:	(Signature of the insolvency professional) Registration No._____ Authorisation for assignment (AFA) No. _____ Date of expiry of AFA_____ (Name in block letters) (Name of insolvency professional entity, if applicable)

FORM P6

DECLARATION BY DIRECTOR/PARTNERS

(Under regulation 16(1) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Pre-packaged Insolvency Resolution Process) Regulations, 2021)

[Date]

To

The Adjudicating Authority

[_____ Bench]

Subject: Declaration for initiating pre-packaged insolvency resolution process in respect of *[name of corporate debtor]*.

We,-

Sl. No.	Name and Designation	Director Identification Number	Address
I	II	III	IV
1			
2			
3			

representing majority among the directors/partners of the [name of the corporate debtor] "Corporate Debtor") having [*Identification Number*] and having registered office at *[Address]*, declare and affirm as under:-

i. The corporate debtor shall file an application for initiating pre-packaged insolvency resolution process within [insert number of days].

ii. The pre-packaged insolvency resolution process is not being initiated to defraud any person.;

iii. The creditors have approved the name of [name of insolvency professional], having registration number [registration number], in the meeting of creditors convened under clause (e) of sub-section (2) of section 54A read with regulation 8 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Pre-packaged Insolvency Resolution Process) Regulations, 2021, held on [date of meeting].

iv. The details of the corporate debtor

Sl. No.	Title	Details
I	II	III
1	Name of the corporate debtor	
2	Registered address of the corporate debtor	
3	Date of incorporation of the corporate debtor	
4	Estimated date for filing the application with adjudicating authority for initiating pre-packaged insolvency resolution process	

v. The contents of this declaration are true and correct and that we have concealed nothing and that no part of it is false.

Date: Place:	(Signature of the Director/Partner) (Name in block letters) DIN-_____ Address:_____
Date: Place:	(Signature of the Director/Partner) (Name in block letters) DIN-_____ Address:_____

(To be signed by all the directors/partners mentioned in Point-1)

India Code

FORM P7

DECLARATION REGARDING EXISTENCE OF AVOIDANCE TRANSACTION(S)

(Under regulation 16(2) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Pre-packaged Insolvency Resolution Process) Regulations, 2021)

[Date]

To

The Adjudicating Authority

[_____ Bench]

Subject: Declaration regarding existence of avoidance transaction in respect of *[name of corporate debtor]*.

I, [name], a managing director/chairperson/designated partner/partner [director, if there is no managing director and chairperson] of the [name of the corporate debtor] ("Corporate Debtor") having [Identification Number] having registered office at *[Address]*, declare and affirm as under:-

{*strike off the part which is not relevant*}

i. the corporate debtor has not been subject to any transaction within the meaning and scope of Chapter III or Chapter VI of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (Code).

OR

ii. the corporate debtor has been subject to following transaction(s) within the meaning and scope of Chapter III or Chapter VI of the Code:-

Sl. No	Transaction with	Section (43/45/ 50/66)	Amount involved (in Rs.)	Remarks, if any
I	II	III	IV	V
1				
2				
3				

A note providing detail(s) of above-mentioned transaction(s) along-with relevant document(s) is enclosed as Annexure-A.

Place:

Date:

(Signature)

Name

Designation

DIN

Address

IndiaCode

FORM P8

REPORT OF THE INSOLVENCY PROFESSIONAL

(Under regulation 17 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Pre-packaged Insolvency Resolution Process) Regulations, 2021)

I [name of insolvency professional], proposed for appointment as resolution professional of [name of corporate debtor] in respect of pre-packaged insolvency resolution process of [name of corporate debtor] hereby declare and affirm as under:-

1. I have sought and obtained all the information and explanations which to the best of my knowledge and belief are necessary for the purposes of preparation of report under section 54B of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (Code) and Regulations thereunder.

2. I have examined the relevant documents and information required to ascertain the status of the corporate debtor and I hereby confirm that [name of corporate debtor] is a micro/ small/medium enterprise under sub-section (1) of section 7 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006);

3. I hereby confirm that-

a. the corporate debtor has not undergone pre-packaged insolvency resolution process or completed corporate insolvency resolution process, during the period of three years preceding the date of making of the application;

b. the corporate debtor is not undergoing a corporate insolvency resolution process;

c. no liquidation order has been made in respect of the corporate debtor;

d. majority of directors / partners of the corporate debtor have made a declaration in Form P6 pursuant to clause (e) of sub-section (2) of section 54A; [Attachment]

e. the members of the corporate debtor have passed a special resolution or three-fourth of the total number of partners of the corporate debtor have passed a resolution approving the filing of the application for initiating pre-packaged insolvency resolution process;

f. the creditors of the corporate debtor representing [percent] of debt* have approved the proposal for appointment of resolution professional, as required under clause (e) of sub-section (2) of section 54A in Form P3;

g. the creditors of the corporate debtor representing [percent] of debt* have approved the proposal for initiation of pre-packaged insolvency resolution process in respect of [name of corporate debtor], as required under sub-section (3) of section 54A in Form P4;

h. the amount of default incurred by the corporate debtor is within the limit notified under sub-section (2) of section 4 of the Code; and

i. I have examined the base resolution plan provided to creditor(s) under clause (c) of sub-section (4) of section 54A, and hereby confirm that it complies with sub-sections (1) and (2) of section 30, section 54K of Code and the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Pre-packaged Insolvency Resolution Process) Regulations, 2021 and all other applicable provisions.

Place: (Signature)

Date: Name of insolvency professional

Registration number

*Debt means aggregate financial debt owed to the financial creditors who are not related parties of the corporate debtor**.**

FORM P9

PUBLIC ANNOUNCEMENT

(Under regulation 19(2) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Pre-packaged Insolvency Resolution Process) Regulations, 2021)

FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF [NAME OF CORPORATE DEBTOR]

Notice is hereby given that the Adjudicating Authority, ____Bench has ordered for the commencement of pre-packaged insolvency resolution process for [name of the corporate debtor] on [pre-packaged insolvency commencement date].

RELEVANT PARTICULARS		
I	**II**	**III**
1	Name of corporate debtor	
2	Former name(s), if changed in last two years	
3	Date of incorporation of corporate debtor	
4	Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	
5	Identification number	
6	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	
7	Pre-packaged insolvency commencement date	
8	Name and registration number of the resolution professional	
9	Address and e-mail of the resolution professional, as registered with the Board	
10	Address and e-mail to be used for correspondence with the resolution professional	
11	List of claims shall be made available from [insert date] at:	

(Signature)

Name and of resolution professional:

Date:

Place:

IndiaCode

FORM P10

LIST OF CLAIMS

(Under regulation 20 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Pre-packaged Insolvency Resolution Process) Regulations, 2021)

As on_____

(Amount in ₹)

Sl. No.	**Category of creditor**	**Summary of claims**		**Amount of contingent claims**	**Details in Annexure**	**Remarks, if any**
		No. of claims	**Amount**			
I	**II**	**III**	**IV**	**V**	**VI**	**VII**
1	Secured financial creditors belonging to any class of creditors				1	
2	Unsecured financial creditors belonging to any class of creditors				2	
3	Secured financial creditors (other than financialcreditors belonging to any class of creditors)				3	
4	Unsecured financial creditors (other than financialcreditors belonging to any class of creditors)				4	

5	Operational creditors (Workmen)				5	
6	Operational creditors (Employees)				6	
7	Operational creditors (Government dues)				7	
8	Operational creditors (other than Workmen, Employees and Government dues)				8	
9	Other creditors, if any, (other than financial creditors and operational creditors)				9	
Total						

[For Corporate Debtor]	**OR**	[For Resolution Professional]
Signature		Signature
Name of person submitting the information		Name of Insolvency Professional
Relationship with corporate debtor		Registration Number____

IndiaCode

Annexure-1

Name of the corporate debtor: ……

Date of commencement of PPIRP:…….

List of creditors as on: ……

List of secured financial creditors belonging to any class of creditors

(Amount in ₹)

Sl. No.	Name of creditor	Identification No.	Details of claims						Amountof contingent claim	Amount of any mutual dues, that may be set-off	Remarks, ifany
			Amount of claim	Nature ofclaim	Amount covered by security interest	Amount covered by guarantee	Whether related party.	% of voting share in committee			
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1											
2											
3											

Annexure-2

Name of the corporate debtor: ……

Date of commencement of PPIRP:……

List of creditors as on: ……

List of unsecured financial creditors belonging to any class of creditors

(Amount in ₹)

Sl. No.	Name of creditor	Identification No.	Details of claims					Amount of contingent claim	Amount of any mutual dues, that may be set-off	Remarks, if any
			Amount of claim	Nature ofclaim	Amount covered by guarantee	Whether related party.	% of voting share in committee			
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
1										
2										
3										

Annexure – 3

Name of the corporate debtor: ……

Date of commencement of PPIRP:…..

List of creditors as on: ……

List of secured financial creditors (other than financial creditors belonging to any class of creditors)

(Amount in ₹)

Sl. No.	Name of creditor	Identification No.	Details of claims						Amount of contingent claim	Amount of any mutual dues, that may be set-off	Remarks, if any
			Amount of claim	Nature ofclaim	Amount covered by security interest	Amount covered by guarantee	Whether related party.	% of voting share in committee			
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1											
2											
3											

Annexure – 4

Name of the corporate debtor: ……

Date of commencement of PPIRP:…….

List of creditors as on: ……

List of unsecured financial creditors (other than financial creditors belonging to any class of creditors)

(Amount in ₹)

Sl. No.	Name of creditor	Identification No.	Details of claims					Amount of contingent claim	Amount of any mutual dues, that may beset-off	Remarks, ifany
			Amount ofclaim	Nature ofclaim	Amount covered by guarantee	Whether related party.	% of voting share in committee			
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
1										
2										

3										

Annexure – 5

Name of the corporate debtor: ……

Date of commencement of PPIRP:……

List of creditors as on: ……

List of operational creditors (Workmen)

(Amount in₹)

Sl. No.	Nameof workman	Identification No.	Details of claims				Amount of contingent claim	Amount of any mutual dues, that may be set-off	Remarks, if any
			Amount of claim	Natureof claim	Whether related party.	% voting sharein committee, if applicable			
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1									
2									
3									

IndiaCode

Annexure – 6

Name of the corporate debtor: ……

Date of commencement of PPIRP:…….

List of creditors as on: ……

List of operational creditors (Employees)

(Amount in₹)

Sl. No.	Name of employee	Identification No.	Details of claims				Amount of contingent claim	Amount of any mutualdues, that may be set-off	Remarks, if any
			Amount of claim	Natureof claim	Whether related party.	% of voting share in committee, if applicable			
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1									
2									
3									

Annexure – 7

Name of the corporate debtor: ……

Date of commencement of PPIRP:…….

List of creditors as on: ……

List of operational creditors (Government dues)

(Amount in₹)

Sl. No	Details of Government organisation			Details of claims					Amount of	Amount of any mutual dues, that may be set-off	Remarks, if any
	Department	Government	Identification	Amount of claim	Nature of Claim	Amount covered by security interest	Amount covered by guarantee	% of voting share in committee, if applicable			
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1											
2											
3											

Annexure – 8

Name of the corporate debtor: ……

Date of commencement of PPIRP:…….

List of creditors as on: ……

List of operational creditors (Other than Workmen and Employees and Government dues)

(Amount in ₹)

Sl. No.	Name of creditor	Identification No.	Details of claim						Amount of contingent claim	Amount of any mutual dues, that may be set-off	Remarks, ifany
			Amount of claim	Nature of claim	Amount covered by security interest	Amount covered by guarantee	Whether related party.	% of voting share in committee			
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1											
2											
3											

Annexure – 9

Name of the corporate debtor: ……

Date of commencement of PPIRP:…….

List of creditors as on: ……

IndiaCode

List of other creditors (Other than financial creditors and operational creditors)

(Amount in₹)

Sl. No.	Name of creditor	Identification No.	Details of claim					Amount of contingent claim	Amount of any mutual dues, that may be set- off	Remarks, if any
			Amount of claim	Nature of claim	Amount covered by security interest	Amount covered by guarantee	Whether related party.			
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
1										
2										
3										

FORM P11

INVITATION FOR RESOLUTION PLANS

(Under regulation 43 of the Insolvency and Bankruptcy (Pre-packaged Insolvency Resolution Process) Regulations, 2021)

IndiaCode

RELEVANT PARTICULARS		
I	II	III
1	Name of the corporate debtor	
2	Former name(s), if changed in last two years	
3	Date of incorporation of corporate debtor	
4	Authority under which corporate debtor is incorporated /registered	
5	Identification number	
6	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	
7	Pre-packaged insolvency commencement date	
8	Date of invitation for resolution plans	
9	Eligibility for resolution applicants	
10	Norms of ineligibility applicable under section 29A	
11	Basis for evaluation (including details related to significant improvement and tick size)	
12	Manner of obtaining 'invitation of resolution plan', basis for evaluation (including details related to significant improvement and tick size), information memorandum and further information	
13	Last date for submission of resolution plans	
14	Manner of submitting resolution plans to resolution professional	
15	Estimated date for submission of resolution plan to the Adjudicating Authority for approval	

16	Name and registration number of the resolution professional	
17	Name, address and e-email of the resolution professional, as registered with the Board	
18	Address and email to be used for correspondence with the resolution professional	
19	Further details are available at or with	
20	Date of publication of Form	

(Signature)

Name of the resolution professional

Registration number

Registered address

Date:

Place:

FORM P12

COMPLIANCE CERTIFICATE

(Under regulation 49 (1) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Pre-packaged Insolvency Resolution Process) Regulations, 2021]

I, [Name of the resolution professional], am the resolution professional for the pre-packaged insolvency resolution process (PPIRP) of [name of the corporate debtor].

2 .The details of the pre-packaged insolvency resolution process

Sl. No.	Particulars	Description
I	II	III
1	Name of the corporate debtor	
2	Date of commencement of PPIRP	
3	Date of appointment of resolution professional	
4	Date of publication of public announcement	
5	Date of constitution of committee	
6	Date of first meeting of committee	
7	Date of appointment of registered valuers	
8	Date of submission of base resolution plan	
9	Date of invitation of resolution plans from third party resolution applicant, if applicable	
10	Date of inviting corporate debtor to improve its resolution plan, if applicable	
11	Date of issue of invitation for resolution plan (if applicable)	
12	Last date of submission of resolution plan	
13	Date of approval of resolution plan by committee	
14	Date of filing of resolution plan with Adjudicating Authority	
15	Date of expiry of one hundred and twenty days of PPIRP	
16	Fair value	

17	Liquidation value	
18	Number of meetings of committee held	

3. I have examined the resolution plan received from corporate debtor/third party resolution applicant (……..) and approved by the committee of [Name of the corporate debtor].

4 .I hereby certify that-

a. the said resolution plan complies with all the provisions of the Insolvency and Bankruptcy Code 2016 (Code), the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Pre-packaged Insolvency Resolution Process) Regulations, 2021 and does not contravene any of the provisions of the law for the time being in force.

b. the corporate debtor/third party resolution applicant)…… (..has submitted an affidavit pursuant to section 30)1 (of the Code confirming its eligibility under section 29A of the Code to submit resolution plan .The contents of the said affidavit are in order.

c. the said resolution plan has been approved by the committee in accordance with the provisions of the Code and the Regulations made thereunder .The resolution plan has been approved by]state the number of votes by which resolution plan was approved by committee % [of voting share of financial creditors after considering its feasibility and viability and other requirements specified by the PPIRP Regulations.

d. the voting was held in the meeting of the committee on]state the date of meeting [where all the members of the committee were present.

or

I sought vote of members of the committee by electronic voting system which was kept open at least for 24/48 hours.

{*strike off the part which is not relevant*}

5 .The list of financial creditors of the]name of CD [being members of the committee and distribution of voting share among them

Sl. No.	**Name of creditor**	**Voting share (%)**	**Voting for resolution plan (voted for / dissented / abstained)**
I	**II**	**III**	**IV**
1			
2			
3			

6 .The resolution plan includes a statement under regulation 45 of the regulations as to how it has dealt with the interests of all stakeholders in compliance with the Code and Regulations made thereunder.

7 **.**The amounts provided for the stakeholders under the resolution plan

(Amount in Rs .Lakh)

Sl. No.	**Category of stakeholder***	**Sub-category of stakeholder**	**Amount of claim**	**Amount admitted**	**Amount provided under the plan#**	**Amount provided to the amount claimed (%)**
I	**II**	**III**	**IV**	**V**	**VI**	**VII**
1	Secured Financial Creditors	(a) Creditors not having a right to vote under sub-section (2) of section 21				

IndiaCode

		(b) Other than (a) above - (i) who did not vote in favour of the resolution plan (ii) who voted in favour of the resolution plan				
		Total[(a) + (b)]				
2	Unsecured Financial Creditors	(a) Creditors not having a right to vote under sub-section (2) of section 21				
		(b) Other than (a) above - (i) who did not vote in favour of the resolution plan (ii) who voted in favour of the resolution plan				
		Total[(a) + (b)]				
3	Operational Creditors	(a) Related Party of Corporate Debtor				
		(b) Other than (a) above - (i)Government (ii)Workmen (iii)Employees (iv) ……				
		Total[(a) + (b)]				
4	Other debts and dues					
Grand Total						

IndiaCode

*If there are sub-categories in a category, please add rows for each sub-category .

Amount provided over time under the resolution plan and includes estimated value of non-cash components .It is not Net Present Value.

8. The interests of existing shareholders have been altered by the resolution plan

Sl .No.	**Category of shareholder**	**No .of shares held before PPIRP**	**No .of shares held after the PPIRP**	**Voting share (%)held before PPIRP**	**Voting share (%) held after PPIRP**
I	**II**	**III**	**IV**	**V**	**VI**
1	Equity				
2	Preference				
3					

9 .The compliance of the resolution plan

Section of the Code / regulation No .	**Requirement with respect to resolution plan**	**Clause of resolution plan**	**Compliance (Yes / No)**
I	**II**	**III**	**IV**
section 29A	Whether the resolution applicant is eligible to submit resolution		

	plan as per final list of Resolution Professional or Order, if any, of the Adjudicating Authority. (whereas applicable)		
section 30(1c)	Whether the Resolution Applicant has submitted an affidavit stating that it is eligible. (if applicable)		
section 30(2)	Whether the resolution plan- (a) provides for the payment of insolvency resolution process costs; (b) provides for the payment to the operational creditors; (c) provides for the payment to the financial creditors who did not vote in favour of the resolution plan; (d) provides for the management of the affairs of the corporate debtor; (e) provides for the implementation and supervision of the resolution plan; (f) contravenes any of the provisions of the law for the time being in force.		
section 54K (4) or (12) and regulation 45	Whether the resolution plan- (a) is feasible and viable, according to the committee; (b) has been approved by the committee with 66% voting share.		
section 31(1)	Whether the resolution plan has provisions for its effective implementation plan, according to the committee.		
regulation 41	Whether the resolution professional has made a determination under regulation 41, before the forty fifth day of the insolvency commencement date, under intimation to the Board.		
regulation 45(5)	Whether the amount due to the operational creditors under the resolution plan has been given priority in payment over financial creditors.		
regulation 45(4)	Whether the resolution plan includes a statement as to how it has dealt with the interests of all stakeholders.		
regulation 45(1)	(i) Whether the Resolution Applicant or any of its related parties has failed to implement or contributed to the failure of implementation of any resolution plan approved under the Code. (ii) If so, whether the Resolution Applicant has submitted the statement giving details of such non-implementation.		
regulation 45(2)	Whether the resolution plan provides for - (a) the term of the plan and its implementation schedule; (b) the management and control of the business of the corporate debtor during its term; (c) adequate means for supervising its implementation.		
regulation 45(3)	Whether the resolution plan demonstrates that – (a) it addresses the cause of default; (b) it is feasible and viable; (c) it has provisions for its effective implementation; (d) it has provisions for approvals required and the timeline for the same; (e) the resolution applicant has the capability to implement the resolution plan.		

Mahacode

regulation 41(3)	(a) Whether the RP has filed applications in respect of transactions observed, found or determined by him.		
regulation 43(5)	Provide details of performance security received, as referred to in sub-regulation (5) of regulation 43.		
section 54K	Where the base resolution plan has been approved by committee,- (i) whether such resolution plan provides for impairment of any claims owed by the corporate debtor; (ii) if the base resolution plan provides for impairment of any claims owed by the corporate debtor, whether the such resolution plan provides for dilution of promoter shareholding or voting or control rights in the corporate debtor. If no, has the committee recorded the reasons for the same prior to approval of such base plan.		

10 .The time frame proposed for obtaining relevant approvals

Sl. No.	**Nature of approval**	**Name of applicable law**	**Name of authority who will grant approval**	**When to be obtained**
I	**II**	**III**	**IV**	**V**
1				
2				
3				

IndiaCode

11 .The resolution plan is not subject to any contingency; or

the resolution plan is subject to the following contingencies (Elaborate the contingencies):-
i……

ii……...

12 .Following are the deviations / non-compliances of the provisions of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, Regulations made, or Circulars issued thereunder (If any deviation/ non-compliances were observed, please state the details and reasons for the same):-

Sl. No.	**Deviation/Non-compliance observed**	**Section of the Code / regulation No. / circular No.**	**Reasons**	**Whether rectified or not**
I	**II**	**III**	**IV**	**V**
1				
2				
3				

13 .The resolution plan is being filed **…..** days before the expiry of the period of PPIRP.

14 .Provide details of section 66 or avoidance application filed /pending, if any.

Sl. No.	Type of transaction	Date of filing with Adjudicating Authority	Date of order of the Adjudicating Authority	Brief of the order
I	II	III	IV	V
1	Preferential transactions under section 43			
2	Undervalued transactions under section 45			
3	Extortionate credit transactions under section 50			
4	Fraudulent transactions under section 66			

15 .I)name of resolution professional (hereby certify that the contents of this certificate are true and correct to the best of my knowledge and belief, and nothing material has been concealed therefrom .

(Signature)

Name of the resolution professional:

IP Registration No:

Address as registered with the Board:

Email Id as registered with the Board:

IndiaCode

AA: Adjudicating Authority; Committee: Committee of Creditors; IFRP: Invitation for Resolution Plan; IM: Information Memorandum; PPIRP: Pre-packaged insolvency resolution process; RA: Resolution Applicant; RP: Resolution Professional.

FORM P13

APPLICATION FOR TERMINATION OF PRE-PACKAGED INSOLVENCY RESOLUTION PROCESS

(Under regulation 49(4) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Pre-packaged Insolvency Resolution Process) Regulations, 2021]

[Date]

To

The Adjudicating Authority

[_____ Bench]

From

[Name of the insolvency professional]

[Registration number of the insolvency professional]

[Registered address of the insolvency professional]

In the matter of [name of the corporate debtor]

Subject: Termination of pre-packaged insolvency resolution process of [name of corporate debtor]

Madam/Sir,

The [name of the corporate debtor], had filed an application bearing [particulars of application, having, [diary number/ case number] on [date of filing] before the Adjudicating Authority under [under section 54C,] of the

Insolvency and Bankruptcy Code, 2016. The said application was admitted by the Adjudicating Authority on [date] bearing [case number].

2. The committee of creditors has, in its meeting held on _____, decided to terminate the aforementioned pre-packaged insolvency resolution process filed by the [name of the corporate debtor] under sub-section (2) of section 54N.

OR

No resolution plan was submitted within the period permitted for approval of resolution plan under sub-section (3) of section 54D.

OR

The resolution plan selected under sub-section (11) of section 54K has not been approved by the committee of creditors under sub-section (12) of section 54K

{*strike off the part which is not relevant*}

3. I hereby attach the report of termination of the pre-packaged insolvency resolution process.

(Signature)

Name of the resolution professional:

IP Registration No:

Address as registered with the Board:

Email Id as registered with the Board:

Date:

Place:

IndiaCode

FORM P14

APPLICATION FOR VESTING MANAGEMENT WITH RESOLUTION PROFESSIONAL

)Under regulation 51 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Pre-packaged Insolvency Resolution Process) Regulations, 2021)

[Date]

To

The Adjudicating Authority

(_____ Bench)

From [Name of the insolvency professional]

[Registration number of the insolvency professional]

[Registered address of the insolvency professional]

In the matter of [name of the corporate debtor]

Subject: Vesting of management of [name of corporate debtor] with resolution professional.

Madam/Sir,

[Name of the corporate debtor], had filed an application bearing [particulars of application, having, diary number/ case number] on [date of filing] before the Adjudicating Authority under [under section 54C,] of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (Code). The said application was admitted by the Adjudicating Authority on [date] bearing [case number].

2. The committee of creditors has, in its meeting held on _____, decided to vest the management of the [Name of the Corporate Debtor] with the resolution professional under section 54J of the Code for the following reason(s):-

a.

b.

3. I hereby attach the minutes of the meeting of committee of creditors held on _____ .

(Signature)

Name of the Resolution Professional:

IP Registration No:

Address as registered with the Board:

Email Id as registered with the Board:

Date:

Place:

IndiaCode

Dr. M. S. SAHOO, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./16/2021-22]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2021.04.10 15:14:04 +05'30'